खण्ड–3 आयोजनेतर

उत्तर प्रदेश शासन

1990-91

के लिये

व्यय की नई मदों से सम्बन्धित

टिप्पणियां

NIEPA DC
D05460

— 542
352.1252
UTT-N

Sub. ... National ... of Educa... Planning and Administration
17-B, Sri ... Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5460
Date 3-12-90

प्रास्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नयी मदों आयोजनेतर की सूचना दी गयी है ।

सूची के बाद नई मदों के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं जिनसे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत जांच आय-व्ययक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नहीं की जा सकी। ऐसी योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पूर्व विस्तृत जांच कर ली जायगी और यदि आवश्यक हुआ तो मदों की संख्या एवं वेतनक्रमों इत्यादि में यथोचित संशोधन कर दिया जायगा ।

इस खण्ड के आरम्भ में आयोजनेतर व्यय की नई मदों की अनुदानवार सूची दी गई है तथा उसके बाद सम्बन्धित विभागों की व्यय की नई मदों की सूची के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण भी अलग-अलग दिया गया है ।

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदों द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

		(हजार रुपयों में)
क—राजस्व लेखा—कुल व्यय	आयोजनेतर	1,16,34,01
	आयोजनागत	7,76,86,30
	योग, 'क'	8,93,20,31
ख—पूंजी लेखा—कुल व्यय	आयोजनेतर	34,13,01
	आयोजनागत	2,19,37,00
	योग, 'ख'	2,53,50,01
	कुल योग	11,46,70,32

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग	
			पूंजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
1	आबकारी विभाग	4,35	..	..	4,35	1 न-4 न
2	आवास तथा नगर विकास	13,94,80	..	..	13,94,80	5 न- 8 न
3	उद्योग विभाग	..	..	33,00,00	33,00,00	9 न-12 न
4	कार्मिक विभाग	2,68	..	..	2,68	13 न-16 न
5	खाद्य तथा रसद विभाग	31,35	..	..	31,35	17 न-20 न
6	गृह (कारागार) विभाग	34,03	..	..	34,03	21 न-26 न
7	गृह विभाग	4,46,32	47,49	..	4,93,81	27 न-40 न
8	निर्वाचन विभाग	4,23	..	..	4,23	41 न-44 न
9	न्याय विभाग	1,51,86	..	..	1,51,86	45 न-52 न
10	प्रशासनिक सुधार विभाग	1,81	..	..	1,81	53 न-56 न
11	राजस्व विभाग	90,80,90	..	..	90,80,90	57 न-66 न
12	वित्त विभाग	36,30	..	..	36,30	67 न-74 न
13	शिक्षा विभाग	35	..	..	35	75 न-78 न
14	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	1,71	..	..	1,71	79 न-82 न
15	लोक निर्माण विभाग	14,13	..	..	14,13	83 न-86 न
16	संस्थागत वित्त विभाग ..	1,45,90	65,52	..	2,11,42	87 न-92 न
17	सैनिक कल्याण विभाग	2,83,29	..	..	2,83,29	93 न-96 न
	योग ..	1,16,34,01	1,13,01	33,00,00	1,50,47,02	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की नयी मदों (आयोजनेतर) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं ।

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में)	
		आवर्तक	अनावर्तक
1	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	..	4,35
3	2215—जल पूर्ति और सफाई	..	13,84,80
	2217—शहरी विकास	..	10,00
7	4854—सीमेंट और धातु भिन्न खनिज उद्योगों के लिए उधार ..	..	5,00,00
	4858—इंजीनियरी उद्योगों के लिये उधार	3,00,00	..
	4885—अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	..	25,00,00
20	2014—न्याय प्रशासन	..	1,30
21	2051—लोक सेवा आयोग	..	1,38
22	2408—खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण	2,42	28,93
26	2056—जेलें	31,90	2,13
27	2055—पुलिस	35,86	1,97,15
	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	46	1,40
	4215—जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय	..	47,49
28	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,00,00	..
29	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	5,18	5,34
41	2015—निर्वाचन	..	4,23
42	2014—न्याय प्रशासन	70,56	80,95
	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	35
45	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	31	1,45
	2202—सामान्य शिक्षा	..	5
50	2053—जिला प्रशासन	28	5,49
51	2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	90,00,00	..
52	2029—भू-राजस्व	2,71	27 59
	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	1,31	42,24
57	2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	1,64	3,44
59	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	9,00	..
	2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	..	2,72
	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,75	..
	2425—सहकारिता	50	1,27
	2475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	9,07	3,26
60	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20	3,45
67	2202—सामान्य शिक्षा	..	35
73	2059—लोक निर्माण	..	78
74	2216—आवास	..	1,43
76	3054—सड़कें और पुल	..	14,13

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की नयी मदों (आयोजनेतर) के योग, अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये है

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में)	
		आवर्तक	अनावर्तक
81	2040---बिक्रीकर	69,28	69,05
	4059---सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	65,52
82	2045---वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2,92	..
83	2030---स्टाम्प और पंजीकरण	..	4,65
84	2052---सचिवालय सामान्य सेवायें	..	1,71
91	2075---विविध सामान्य सेवायें	2,74,35	..
	2235---सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,69	2,25
	कुल योग ...	1,00,26,39	50,20,63
		1,50,47,02	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2039--राज्य उत्पाद शुल्क	आबकारी आयुक्त कार्यालय की प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण।	..	4,35	3 न
		अनुदान संख्या 1 का योग	..	4,35	
3	2215--जलपूर्ति और सफाई	(1) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का रख-रखाव	..	50,00	7 न
		(2) पम्पिंग स्टेशनों का रख-रखाव	..	1,34,80	7 न
		(3) जल संस्थानों के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु व्यवस्था	..	12,00,00	7 न
		लेखा शीर्षक, 2215 का योग	..	13,84,80	
	2217--शहरी विकास--	नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्ति स्थापित किया जाना।	..	10,00	8 न
		लेखा शीर्षक, 2217 का योग	..	10,00	
		अनुदान सख्या 3 का योग	..	13,94,80	
7	6854--सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योगों के लिए उधार-	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम को ऋण	..	5,00,00	11 न
		लेखा शीर्षक 6854 का योग	..	5,00,00	
	6858--इंजीनियरी उद्योगों के लिए उधार	आटो ट्रैक्टर्स लि0 प्रतापगढ़ को ब्याज रहित ऋण	3,00,00	..	11 न
		लेखा शीर्षक 6858 का योग	3,00,00		
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार--	उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत नई पात्र औद्योगिक इकाइयों को विक्रीकर आस्थगन सुविधा देने की योजना के कार्यान्वयन हेतु इकाइयों को ब्याज रहित ऋण	..	25,00,00	11 न
		अनुदान संख्या 7 का योग	3,00,00	30,00,00	
20	2014--न्याय प्रशासन-	उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण लखनऊ के 27 लाइनों के इंटरकाम की व्यवस्था	..	1,30	15 न
		अनुदान संख्या 20 का योग	..	1,30	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) का अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
21	2051--लोक सेवा आयोग-	(1)	लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के परिसर में तारबाड़ लगाकर आवासीय तथा अनावासीय परिसर को पृथक करना।	..	1,27	15-न
		(2)	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय के प्रयोगार्थ एक वाटर कूलर का क्रय	..	11	15 न
			अनुदान संख्या 21 का योग	..	1,38	
22	2408--खाद्य-भण्डारण और भण्डागारण	(1)	प्रदेश में जिलापूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों के क्रय एवं चालक के पदों का सृजन।	2,42	15,88	19 न
		(2)	प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों में सुधार	..	13,05	19 न
			अनुदान संख्या 22 का योग	2,42	28,93	
26	2056-जेलें-	(1)	देवबन्द तथा महोबा के नव निर्मित उप कारागारों के लिए कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था।	28,14	1,72	23 न
		(2)	जिला कारागार, ललितपुर हेतु पदों का सृजन	3,76	41	
			अनुदान संख्या 26 का योग	31,90	2,13	24 न
27	2055-पुलिस--	(1)	कतिपय जिलों की पुलिस लाइनों के लिये विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।	..	7,27	29 न
		(2)	रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालयों में रंगरूट के लिये तख्तों की व्यवस्था।	..	7,60	30 न
		(3)	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के कार्यालय हेतु कर्मचारिवर्ग और साज-सज्जा की व्यवस्था।	33	1,28	30 न
		(4)	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग के लिए एक हल्की गाड़ी की व्यवस्था।	..	1,55	31 न
		(5)	पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष शीतकालीन वर्दी की व्यवस्था।	9,81	29,99	31 न
		(6)	पुलिस विभाग के कार्यालयों के लिये फोटो-कापियर मशीन की व्यवस्था।	37	11,00	31 न
		(7)	राज्य पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु क्रय किये गये उपकरणों आदि की देयता का भुगतान एवं उपकरणों आदि का क्रय,	..	1,33,96	31 न
		(8)	इलाहाबाद पुलिस जोन का सुदृढ़ीकरण	1,70	1,39	32 न
		(9)	पुलिस थानों/चौकियों/कन्ट्रोल रूम/ अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों आदि हेतु टेलीफोन की व्यवस्था	8,38	1,52	33 न

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		योजना का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2055--पुलिस---	(10)	पी0 एम0 टी0 वर्कशाप लखनऊ का विद्युतीकरण	..	70	33 न.
		(11)	मिनी पुलिस लाइन की स्थापना	3,98	..	34 न
		(12)	कान्सटेबिल ड्राइवरों के पदों का का सृजन	6,83	..	34 न
		(13)	पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन, मेरठ के नवनिर्मित भवन का विद्युतीकरण	..	89	
		(14)	पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना	1,98	..	35 न
		(15)	अभिसूचना इकाई का सुदृढ़ीकरण	2,48	..	35 न
			लेखा शीर्षक 2055 का योग .	35,86	1,97,15	
	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें---		मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को एक जीप की सुविधा उपलब्ध कराया जाना तथा एक एस0 आई0 (एम) आशुलेखक और एक चालक के पद का सृजन।	46	1,40	36 न
			लेखा शीर्षक 2070 का योग ..	46	1,40	
	4215—जलापूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय--		पुलिस विभाग की जल प्रदाय योजनाओं के लिये धनराशि की व्यवस्था।	..	47,49	38 न
			लेखा शीर्षक, 4215 का योग ..	..	47,49	
			अनुदान संख्या 27 का योग	36,32	2,46,04	
28	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन में वृद्धि किया जाना।	2,00,00	..	40 न
			अनुदान संख्या, 28 का योग ..	2,00,00	..	
29	3070---अन्य प्रशासनिक सेवायें---	(1)	नव सृजित जनपद सोनभद्र, महराजगंज एवं फिरोजाबाद में होमगार्ड कार्यालय की स्थापना।	4,81	5,34	39 न
		(2)	होमगार्ड मुख्यालय पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन।	37	..	40 न
			अनुदान संख्या 29 का योग	5,18	5,34	

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नयी मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
41	2015--निर्वाचन---	(1) निर्वाचन विभाग हेतु सीलिंग फैन एवं अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।	..	18	43 न
		(2) निर्वाचन कार्यालयों हेतु इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, साज-सज्जा संयंत्र एवं उपस्करों की व्यवस्था	..	2,35	43 न
		(3) निर्वाचन विभाग के लिए फोटो कापियर की व्यवस्था	..	1,70	44 न
		अनुदान संख्या 41 का योग ..	..	4,23	
42	2014--न्याय प्रशासन---	(1) उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में स्थित राज्य विधि अधिकारी कार्यालय के नये भवन हेतु फर्नीचर/फर्निशिंग तथा इण्टर काम की व्यवस्था।	...	1,00	47 न
		(2) पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, एवं बरेली में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना।	21,30	1,28	47 न
		(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के उपयोगार्थ डीजल जीपों का क्रय	3,77	18,85	48 न
		(4) प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को आवासीय टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	..	3,25	49 न
		(5) न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान में कम्प्यूटर सेल की स्थापना।	6,27	..	49 न
		(6) द्वितीय चरण में 12 जिला जजियों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था।	..	50,00	49 न
		(7) 25 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन, की सुविधा।	..	2,32	50 न
		(8) समस्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को आशुलिपिक की सुविधा दिया जाना एवं उनके उपयोगार्थ 85 हिन्दी टाइपराइटर का क्रय।	1,69	4,25	50 न
		(9) लघुवाद न्यायालयों की स्थापना	37,53	..	50 न
		लेखा शीर्षक 2014 का योग ..	70,56	80,95	50 न
	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के लिये द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की व्यवस्था।	..	35	52 न
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	..	35	
		अनुदान संख्या 42 का योग ..	70,56	81,30	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नयी मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
45	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--	मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद के उपयोगार्थ वाहन की व्यवस्था।	31	1,45	55 न
		लेखा शीर्षक. 2052 का योग ..	31	1,45	
	2202--सामान्य शिक्षा--	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नयी दिल्ली की उत्तर प्रदेश की लखनऊ स्थित रीजनल शाखा को अनुदान।	..	5	55 न
		लेखा शीर्षक 2202 का योग ..	..	5	
		अनुदान संख्या 45 का योग ..	31	1,50	
50	2053--जिला प्रशासन	(1) प्रदेश के 27 नगर मैजिस्ट्रेट / अपर नगर मैजिस्ट्रेट के आवासों पर टेलीफोन की सुविधा।	13	1,88	62 न
		(2) जिलाधिकारी फतेहपुर के आवास की विशेष मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था।	..	2,08	62 न
		(3) गाजियाबाद जनपद में रेजीडेन्ट मेजिस्ट्रेट नोएडा के लिए एक डीजल जीप का क्रय एवं वाहन चालक के एक पद का सृजन।	15	1,53	63 न
		अनुदान संख्या 50 का योग ..	28	5,49	
51	2245--दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु नयी प्रणाली लागू किये जाने हेतु आपदा राहत निधि में राज्य / केन्द्र सरकार का अंशदान।	90,00,00	..	65 न
		अनुदान संख्या 51 का योग ..	90,00,00	..	
52	2029--भू-राजस्व-	(1) जनपद गाजियाबाद तथा लखनऊ कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेखागार में माइक्रोफिल्मिंग इकाई की स्थापना।	2,62	12,13	59 न
		(2) राजस्व संग्रह चपरासियों के लिये वर्दी की व्यवस्था।	..	13,00	59 न
		(3) राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, हरदोई का विकास एवं विस्तार	..	1,10	59 न

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नयी मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2029--भू-राजस्व	(4) नव सृजित भूमि अध्याप्ति निदेशालय के प्रयोगार्थ एक फोटोकापियर मशीन का क्रय।	9	1,36	60 न
		लेखा शीर्षक 2029 का योग ..	2,71	27,59	
	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें-	(1) राजस्व परिषद् में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना।	..	19,51	62 न
		(2) राजस्व परिषद् स्थित आडीटोरियम भवन में एयर कन्डीशनर्स की व्यवस्था।	..	8,00	62 न
		(3) राजस्व परिषद् में माइक्रोफिल्मिंग व्यवस्था।	1,31	11,82	61 न
		(4) राजस्व परिषद् कार्यालय के लिये इंजीनियरिंग प्लान प्रिन्टर मशीन की व्यवस्था।	..	2.91	60 न
		लेखा शीर्षक, 2052 का योग ..	1,31	42,24	
		अनुदान संख्या 52 का योग ..	4,02	69,83	
57	2054--राजकोष और लेखा प्रशासन	(1) कलक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ के लिय एक अतिरिक्त टेलीफोन की व्यवस्था।	2	10	71 न
		(2) वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में एक शोध प्रकोष्ठ की स्थापना।	1,32	2,40	70 न
		(3) प्रदेश के दो कोषागारों (आगरा एवं वाराणसी) में इन्टरकाम की सुविधा।	..	64	70 न
		(4) प्रदेश के 60 कोषागारों को गैस से जलने-वाल पेट्रोमैक्स उपलब्ध कराया जाना।	30	30	70 न
		अनुदान संख्या 57 का योग	1,64	3,44	
59	2052--सचिवालय-सामान्य सेवाये-	(1) राष्ट्रीय जन वित्त एवं नीति संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाईनेंस एण्ड पालिसी), नई दिल्ली को आवर्तक अनुदान।	1,00	..	89 न
		(2) प्रदेश शासन के धन का उचित उपयोग तथा चयनित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु अध्ययन।	8,00	..	89 न
		लेखा शीर्षक, 2052 का योग ..	9,00	..	

वर्ष 990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2054--राजकोष और लेखा प्रशासन-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के मण्डल/जिला सम्परीक्षा कार्यालयों हेतु डेस्क कलकुलेटर का क्रय ।	..	2,72	69 न
		लेखा शीर्षक, 2054 का योग ..	..	2,72	
	2070---अन्य प्रशासनिक सेवायें	प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदों की स्वीकृति हेतु मापदण्डों के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु एक कोष्ठक का गठन	1,75	..	71 न
		लेखा शीर्षक 2070 का योग	1,75	..	
	2425--सहकारिता--	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अधीनस्थ जनपद कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था ।	50	1,27	73 न
		लेखा शीर्षक, 2425 का योग ..	50	1,27	
	3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -	(1) रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीनस्थ तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना ।	9,07	1,91	73 न
		(2) रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक कोयो स्टेट, मशीन का क्रय ।	..	1,35	74 न
		लेखा शीर्षक, 3475 का योग ..	9,07	3,26	
		अनुदान संख्या 59 का योग ..	20,32	7,25	
60	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण,-	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में पी0 सी0 ए0 टी0 कम्प्यूटर की स्थापना ।	20	3,45	72 न
		अनुदान संख्या 60 का योग ..	20	3,45	
67	2202--सामान्य शिक्षा-	जनपद उन्नाव में जन्मे श्री मनीराम द्विवेदी "नवीन" स्मारक निर्माण हेतु अनुदान ।	..	35	77 न
		अनुदान संख्या 67 का योग		35	

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
73	2059—लोक निर्माण—	(1) कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड मुरादाबाद में स्थित कम्प्यूटर रूम का विद्युतीकरण ।	..	13	63 न
		(2) जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुन्सयारी के राजस्व भवनों का विद्युतीकरण ।	..	33	64 न
		(3) नई पुलिस लाइन देहरादून में मार्ग प्रकाश तथा सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था ।	..	32	36 न
		अनुदान संख्या 73 का योग	..	.. 78	
74	2216—आवास—	(1) तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तर काशी के आवासीय भवनों का विद्युतीकरण ।	..	33	64 न
		(2) जनपद नैनीताल के मुख्यालय के 32 चपरासी क्वार्टरों का विद्युतीकरण ।	..	49	94 न
		(3) पुलिस लाइन सहारनपुर में श्रेणी एक के आवास गृहों में विद्युत आपूर्ति के लिये पावर सब-स्टेशन की विशेष मरम्मत ।	..	61	37 न
		अनुदान संख्या 74 का योग	..	. 1,43	
76	3054—सड़कें और पुल	(1) जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज–गोसाईगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण	..	14,05	85 न
		(2) इण्डियन नेशनल ग्रूप आफ इण्टरनेशनल एसोसियेशन फार ब्रिजेज एण्ड स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग को वार्षिक अंशदान ।	..	8	85 न
		अनुदान संख्या 76 का योग	..	14,13	
81	2040—बिक्रीकर—	(1) बिक्रीकर विभाग के खण्ड कार्यालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था ।	..	11,76	89 न
		(2) बिक्रीकर विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना को गतिशील बनाए रखने की व्यवस्था ।	4,15	50,05	90 न
		(3) बिक्रीकर विभाग की 'ए' श्रेणी की जांच चौकियों के लिए जनरेटर का क्रय ।	..	48	90 न
		(4) बिक्रीकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लिए कूलरों का क्रय ।	..	6,00	90

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2040--बिक्रीकर	(5) बिक्रीकर अधिकरण की चतुर्थ पीठ, आगरा में स्थापित किये जाने हेतु जनशक्ति / धनराशि की व्यवस्था ।	4,55	76	90 न
		(6) बिक्रीकर विभाग की जांच चौकियों के कार्य को गतिशील बनाये रखने हेतु अतिरिक्त जनशक्ति की स्वीकृति ।	60,58	..	89न
		लेखा शीर्षक, 2040 का योग ..	69,28	69,05	
	4059--सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय--	बिक्रीकर विभाग के कर्मियों को आवासीय सुविधा।	..	65,52	91 न
		लेखा शीर्षक, 4059 का योग	..	65,52	
		अनुदान संख्या 81 का योग	.. 69,28	1,34,57	
82	2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क--	मनोरंजन कर विभाग का सुदृढ़ीकरण	2,92	..	92 न
		अनुदान संख्या 82 का योग ..	2,92	..	
83	2030--स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण--	(1) महानिरीक्षक-निबन्धन उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक फोटोकापियर मशीन की व्यवस्था।	..	1,65	92 न
		(2) प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था।	..	3,00	92न
		अनुदान संख्या 83 का योग ..	..	4,65	
84	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें	वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुदान हेतु एक फोटो-कापियर मशीन का क्रय		1,71	81 न
		अनुदान संख्या 84 का योग	.	1,71	
91	2075-विविध सामान्य सेवायें--	(1) वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार में वृद्धि।	3,00	..	95 न

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2075--विविध सामान्य सेवायें	(2) द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पेंशन।	2,71,35	..	95 न
		लेखा शीर्षक 2075 का योग ..	2,74,35	..	
	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--	(1) नव सृजित जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना।	6,69	70	96 न
		(2) राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के एक योद्धा की मूर्ति का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को दानस्वरूप दिया जाना।	..	1,55	95 न
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	6,69	2,25	
		अनुदान संख्या 91 का योग ..	2,81,04	2,25	

आबकारी विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आबकारी आयुक्त कार्यालय की प्रयोगशाला का पुनर्गठन	4,35	..	..	4,35	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	13 ब

आबकारी आयुक्त कार्यालय की प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण

आबकारी आयुक्त के मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित प्रयोगशाला में रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्लेन स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, अवैध लीकर, विदेशी मदिरा में रंग की तीव्रता, बीयर के नमूने, शीरे के नमूने व आबकारी संबंधी अन्य नमूने परीक्षण एवं उनमें उपलब्ध गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट करने हेतु बराबर प्राप्त होते हैं। कुछ नमूने अत्यन्त जटिल प्रकार के होते हैं किन्तु प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों के अभाव में इनके परीक्षण में काफी समय एवं श्रम लगता है। अतः प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु 4,35,000 रु0 की अनुमानित लागत पर कतिपय उपकरण इत्यादि क्रय करने का प्रस्ताव है तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा/भंडार/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे--

मदें	लागत (हजार रुपयों में)
1--टिन्टोमीटर	40
2--क्रोमेटोग्राफी डाटा स्टेशन	1,20
3--एक्ससरीज फार क्रोमेटोग्राफी	40
4--पी0एच0 मीटर (4)	20
5--कन्डक्टिविटी मीटर	10
6--मेटलर बैलेन्स	70
7--बी0बी0डी0 इनक्यूबेटर	20
8--हाट प्लेट्स (10)	10
9--पोलेरी मीटर	10
10--स्पेसिफिकग्रेविटी हाइड्रोमीटर (सेट्स)	10
11--ब्रिक्स हाइड्रोमीटर (सेट्स)	10
12--इन्स्ट्रूमेन्ट रुम के लिये एयर कंडीशनर	25
13--फर्नीचर	50
योग ..	4,35

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2039--राज्य उत्पाद शुल्क--आयोजनेतर
001--निदेशन और प्रशासन--
01--अधीक्षण--
06--कार्यालय व्यय 4,25

[redacted] आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का रख-रखाव	50,00	..	..	50,00	2215-जल-पूर्ति और सफाई	7 न
2	पम्पिंग स्टेशनों का रख-रखाव	1,34,80	..	..	1,34,80	तदेव	7 न
3	जल संस्थानों के विद्युत् देयकों के भुगतान हेतु व्यवस्था	12,00,00	..	..	12,00,00	तदेव	7 न
4	नगर स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्ति स्थापित किया जाना	10,00	..	..	10,00	2217-शहरी विकास	8 न
	योग ..	13,94,80	..	..	13,94,80		

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का रख-रखाव ।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की योजनाओं का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जाता है जिसके लिये धनराशि गंगा प्रोजेक्ट निदेशालय द्वारा अवमुक्त की जाती है । परन्तु योजनाओं के रख रखाव हेतु केवल आंशिक धनराशि ही गंगा प्रोजेक्ट निदेशालय द्वारा अवमुक्त की जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा के तट पर स्थित "ए" श्रेणी के 6 नगरों, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर तथा फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ में गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम का कार्य जल निगम द्वारा सम्पादित किया जाता है । उक्त योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के रख-रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था शासन द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 50,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली है । व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2215–जलपूर्ति और सफाई–आयोजनेतर––
02–मल निकासी और सफाई––
106–वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम––
02–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के रख-रखाव हेतु जल निगम को अनुदान––
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 50,00

पम्पिंग स्टेशनों का रख-रखाव ।

जल निकासी व जलोत्सारण हेतु पम्पिंग स्टेशनों का रख-रखाव कराया जाना तथा उपलब्ध पुराने पम्पों की मरम्मत कराया जाना आवश्यक है । इस कार्य हेतु 1,34,80,000 रु0 की आवर्तक धनराशि की आवश्यकता है । तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,34,80,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है । व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायगी ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

(हजार रुपयों में)

2215–जल पूर्ति और सफाई––आयोजनेतर––
02–मल निकासी और सफाई––
191–स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता––
04–पम्पिंग स्टेशनों के रख-रखाव हेतु जल निगम की अनुदान––
14––सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,34,80

जल संस्थानों के विद्युत् देयकों के भुगतान हेतु व्यवस्था ।

पूर्व निर्णय के अनुसार जल संस्थानों के विद्युत देयकों की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शासन द्वारा किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधान किया गया था । किन्तु उक्त प्राविधानित धनराशि को राज्य विद्युत् परिषद् को अवमुक्त किये जाने में कतिपय कठिनाइयां हुईं जिसके फलस्वरूप जल संस्थानों के विद्युत् बकायों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और विद्युत् परिषद् को भी पूर्ण भुगतान नहीं प्राप्त हो सका । इसके अतिरिक्त विद्युत् परिषद् को अवमुक्त की गई धनराशि का समायोजन सम्बन्धित जल संस्थानों के लेखे में किये जाने में समस्यायें प्रतीत हुई । इन समस्याओं के निदान हेतु यह प्रस्तावित है कि आय-व्ययक में इस धनराशि की व्यवस्था एक पृथक मद में की जाये और उसके स्वीकृत करने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की जाये जिससे शासन द्वारा विद्युत् परिषद् को स्वीकृत की गई धनराशि का समायोजन जल संस्थानों के वास्तविक विद्युत् चार्जेज के विरुद्ध प्रमाणित आधार पर सुनिश्चित किया जा सके । यद्यपि विद्युत् परिषद् द्वारा बताये गये जल संस्थानों के वर्ष 1990-91 के विद्युत् चार्जेज के अनुमान की पुष्टि जल संस्थानों से नहीं हो सकी है तथापि जल संस्थानों द्वारा सूचित पूर्व वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 12,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है । इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जल संस्थानों को विद्युत् परिषद् द्वारा दिये गये बिलों के प्रमाणीकरण के आधार पर निर्गत की जायेगी ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––आयोजनेत्तर

(हजार रुपयों में)

2215––जल सम्पूर्ति और सफाई––आयोजनेतर
01––जलपूर्ति––
800––अन्य व्यय––
01––जल संस्थानों के विद्युत् देयकों के भुगतान हेतु राज्य अंशदान––
14––सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता 12,00,00

नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्ति स्थापित किया जाना।

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की यादगार में नगरों में उनकी मूर्ति स्थापित किये जाने के लिये समुचित व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये 10,00,000 रु० अनावर्तक का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृतियां विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जाएगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2217--शहरी विकास--आयोजनेतर--

80--सामान्य--

191--स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता

05--स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्ति स्थापित करने के लिये विशेष अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

उद्योग विभाग ।

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम को ऋण	..	..	5,00,00	5,00,00	6854-सीमेन्ट और धातु भिन्न खनिज उद्योगों के लिए उधार	11-न
2	मोटो ट्रैक्टर्स लि0 प्रतापगढ़ को ब्याज रहित ऋण	..	..	3,00,00	3,00,00	6858-इंजीनियरी उद्योगों के लिए उधार	11-न
3	उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत नई पात्र औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर आस्थगन सुविधा देने की योजना के कार्यान्वयन हेतु इकाइयों को ब्याज रहित ऋण	..	..	25,00,00	25,00,00	6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	11-न
	योग	..	..	33,00,00	33,00 00		

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम को ऋण :

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, विगत कुछ वर्षों से अत्यन्त कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है। निगम को वर्ष 1983-84 से वर्ष 1988-89 तक 7294.00 लाख रुपये की नकद हानि हुई है जिसके कारण निगम की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। फलस्वरूप बिजली, बिक्रीकर तथा अन्य आवश्यक दायित्वों का भुगतान करना निगम के लिये सम्भव नहीं हो पा रहा है। राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली के बिलों के भुगतान हेतु निगम पर जोर डाला जा रहा है। बिक्रीकर और अन्य आवश्यक दायित्वों का भुगतान न किये जाने की दशा में निगम की इकाइयों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंन्ट निगम लि0 को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 1990-91 में 5,00,00,000 रुपये ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार 5,00,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर बिस्तृत परीक्षणोपरान्त दिया जाय।

(हजार रुपयों में)

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6854--सीमेन्ट और धातुभिन्न खनिजों उद्योगों के लिये उधार--

01--सीमेन्ट--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

01--उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 को उधार--

24--निवेश/ऋण 5,00,00

आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ को ब्याज रहित ऋण

आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ जो ट्रैक्टर्स तथा खुदरा इंजन का उत्पादन करती है, को बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने के कारण अपने उत्पादों की लागत मूल्य से कम पर विक्रय करना पड़ रहा है। फलस्वरूप वर्ष 1988-89 तक 3636 लाख रु0 की नगद हानि हो चुकी है तथा वर्ष 1989-90 में 816 लाख रु0 नकद हानि होने का अनुमान है। इस कम्पनी की तात्कालिक आवश्यकताओं तथा हानि की प्रतिपूर्ति हेतु शासन ने अब तक 27,94 लाख रु0 की धनराशि (2594 लाख रुपये ब्याज रहित ऋण के रूप में एवं 200 लाख रु0 ब्याज सहित ऋण) के रूप में उपलब्ध कराया है। वर्ष 1990-91 में 3,00,00,000 रु0 का ब्याज रहित ऋण नकद हानि की प्रति पूर्ति हेतु दिये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,00,000 रु0 का प्राविधान कर लिया गया है। ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर परीक्षणोपरान्त दिया जायेगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

6858--इंजीनियरी उद्योगों के लिये उधार-आयोजनेतर--

04--अन्य इंजीनियरिंग उद्योग-

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

01--आटो ट्रैक्टर्स लि0 को ऋण--

24--निवेश/ऋण 3,00,00

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत नई पात्र औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर आस्थगन [सुविधा] देने की योजना के कार्यान्वियन हेतु इकाइयों को ब्याज रहित ऋण।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर छूट देने की योजना 1 अक्तूबर, 1982 से लागू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट के लिये पात्र नई मध्यम एवं वृहत् उद्योग इकाइयों के द्वारा छूट के विकल्प में बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा का उपभोग किया जा सकेगा जिसके अन्तर्गत किसी वर्ष विशेष में ऐसी नई पात्र औद्योगिक इकाई के द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर, बिक्रीकर वसूल करके अपने पास निश्चित अवधि तक रखा जा सकेगा और उक्त निश्चित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् योजनान्तर्गत इकाई द्वारा अपने पास रखी गयी बिक्रीकर की धनराशि पिकप के माध्यम से शासन के उद्योग विभाग को वापस की जायेगी। दिनांक 1-4-1983 से आयकर अधिनियम में बढ़ायी गयी धारा 43-ख के कारण योजनान्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को उपलब्ध करायी गयी बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा के फलस्वरूप किसी वर्ष विशेष के दौरान इकाई द्वारा अपने पास रखी गयी बिक्रीकर की धनराशि भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चूंकि इकाई की सम्बन्धित वर्ष की आय मानी जायेगी और उस पर उन्हें आयकर देना होगा। अतएव बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा योजना के उद्देश्य की सफलता सुनिश्चित करने के ध्येय से किसी वर्ष के दौरान शासन के बिक्रीकर विभाग द्वारा आस्थगित की गयी बिक्रीकर की धनराशि के विरुद्ध उद्योग विभाग के आय-व्ययक से उक्त आस्थगित की गयी धनराशि के समतुल्य प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0पी0 लि0 (पिकप) के माध्यम से उक्त वर्ष में ऋण की स्वीकृति की व्यवस्था की गयी है। आस्थगित की गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि पिकप को शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी किन्तु उसका भुगतान पिकप को नकद नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार पिकप द्वारा इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृत किया जायेगा परन्तु उक्त ऋण की धनराशि का भुगतान इकाई को न करके

उसे बिक्रीकर विभाग के लेखे में पुस्तक समायोजन द्वारा जमा किया जायेगा । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 25 करोड़ रुपया व्याज रहित ऋण के रूप में पुस्तक समायोजन हेतु स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है । तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 25,00,00,000 रु0 की अनावर्तक व्यवस्था कर ली गयी है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :––

(हजार रुपयों में)

6885–अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार–आयोजनेतर––	
01–औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को उधार––	
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार––	
03–प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को बिक्रीकर राशि के आस्थगन योजना के अन्तर्गत ऋण––	
24–निवेश/ऋण	25,00,00

कार्मिक विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के 27 लाइनों के इन्टरकाम की व्यवस्था	1,30	..		1,30	2014—न्याय प्रशासन	15 न
2	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के परिसर में तारबाड़ लगाकर आवासीय तथा अनावासीय परिसर को पृथक करना	1,27	..	..	1,27	2051—लोक सेवा आयोग	15 न
3	उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय के प्रयोगार्थ एक वाटर कूलर का क्रय	11	..	..	11	तदैव	15 न
	योग	2,68	..	..	2,68		

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में 27 लाइनों के इंटरकाम की व्यवस्था ।

उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण, जवाहर भवन, लखनऊ में टेलीफोन पी0 ए0 बी0 एक्स0 समाप्त हो जाने के फलस्वरूप 27 टेलीफोन कनेक्शन के स्थान पर 1,30,000 रु0 की अनुमानित लागत से 27 लाइनों का इन्टरकाम लगाये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार 1,30,000 रु0 की धनराशि वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन–आयोजनेतर—
116—राज्य प्रशासकीय अधिकरण,—
01–लोक सेवा अधिकरण–
06—कार्यालय व्यय 1,30

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के परिसर में तारबाड़ लगाकर आवासीय तथा अनावासीय परिसर को पृथक करन ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के परिसर में आवासीय तथा अनावासीय परिसर पृथक-पृथक नहीं है। आयोग के अभिलेखों की सुरक्षा एवं आयोग के परिसर में प्रतिबन्धित प्रवेश एवं सुरक्षा के निमित्त आयोग के आवासीय तथा अनावासीय परिसर को तारबाड़ लगाकर पृथक किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990–91 में इस कार्य पर 1,27,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,27,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2051–लोक सेवा आयोग—आयोजनेतर
103—राज्य लोक सेवा आयोग—
01—राज्य लोक सेवा आयोग का अधिष्ठान (भारित)—
19—लघु निर्माण कार्य *1,27*

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय के प्रयोगार्थ एक वाटर कूलर का क्रय ।

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ के नव स्थापित कार्यालय के प्रयोगार्थ एक वाटर कूलर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस कार्य पर 10,582 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 11,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2051--लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर--
103-- कर्मचारी चयन आयोग--
01--उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड--
06--कार्यालय व्यय 11

खाद्य तथा रसद विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश में जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों के क्रय एवं चालक के पदों का सृजन	18,30	..	..	18,30	2408-खाद्य, भण्डागारण और भाण्डारण	19 न
2	प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों में सुधार	13,05	..	..	13,05	तदैव	19 न
	योग	31,35	..	..	31,35		

प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों के क्रय एवं चालक के पदों का सृजन ।

सुदूर ग्रामीण अंचलों एवं नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण, जमाखोरी, चोरबाजारी व तस्करी आदि पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने तथा आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये प्रदेश के 53 जिला पूर्ति अधिकारियों की वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है । वित्तीय वर्ष 1990–91 में 11 जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ एक-एक जीप गाड़ी क्रय किये जाने तथा 950–1500 के वेतन मान में 10 चालकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव है । वित्तीय वर्ष 1990–91 में इस योजना पर 18,30,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तद्नुसार आय-व्ययक में 18,30,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है । व्यय एवं पदों की स्वीकृति जिलेवार विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायगी ।

2––व्यय का विभाजन––

साज-सज्जा/भण्डार/मशीन/गाड़ियों आदि के स्थूल व्योरे––

मद	धनराशि
	रु0
11 जीप गाड़ियां	15,88,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2408––खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण–आयोजनेत्तर––

01––खाद्य

001––निदेशन और प्रशासन––

01––अधिष्ठान व्यय––

(हजार रुपयों में)

01––वेतन	86
03––महंगाई भत्ता	30
04––यात्रा व्यय	10
05––अन्य भत्ते	14
08––मोटर गाड़ियों का क्रय	15,88
09––मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,02
योग ..	18,30

प्रदेश के जिलापूर्ति कार्यालयों में सुधार ।

जिला पूर्ति कार्यालयों के भवन काफी पुराने हैं तथा इनमें काउन्टरों का अभाव है । वितरण प्रणाली की नई प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नये फार्म व रजिस्टर आदि की भी आवश्यकता है । नई प्रणाली के प्रचार हेतु काउन्टर पर सूचना पट भी लगाये जाने है । इसके अतिरिक्त नवसृजित 6 जनपदों के लिये उक्त कार्यों के अतिरिक्त साज-सज्जा आदि क्रय किया जाना हैं । इसके लिए प्रत्येक पुराने जिला पूर्ति कार्यालय की 15,000 रु0 तथा नवसृजित 6 जनपदों की जिला पूर्ति कार्यालयों की 75,000 रु0 प्रति जनपद के हिसाब से धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है । वित्तीय वर्ष 1990–91 में इस कार्य पर 13,05,000 रु0 के अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है । तद्नुसार आय-व्ययक में 13,05,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

(हजार रुपयों में)

2408–खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण–आयोजनेतर––	
01–खाद्य––	
001–निदेशन और प्रशासन––	
01–अधिष्ठान व्यय––	
06–कार्यालय व्यय	13,05

गृह (कारागार) विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवबन्द तथा महोबा के नव-निर्मित उप कारागारों के लिए कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था	29,86	..	..	29,86	2056—जेलें	23 न
2	जिला कारागार ललितपुर हेतु पदों का सृजन	4,17	..	..	4,17	तदैव	24 न
	योग	34,03	..	..	34,03		

देवबन्द तथा महोबा के नव निर्मित उप कारागारों के लिये कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था ।

अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत कारागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन हेतु देवबन्द तथा महोबा के तहसील मुख्यालय पर 100–100 बंदी क्षमता के दो उप कारागारों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त भवनों का निर्माण-कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। बंदियों के प्रशासन व प्रबन्ध व्यवस्था के लिये अब प्रशासनिक व सुरक्षा स्टाफ, कार्यालय साज-सज्जा तथा अन्य संगत उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें कुल 29,86,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में कुल 29,86,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2–व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु0	
1	अंशकालिक अधीक्षक	500 प्रतिमाह नियत	2
2	अंशकालिक चिकित्साधिकारी	तदैव	2
3	कारापाल	625–1240 अपुनरीक्षित	2
4	उप कारापाल	1400–2300	4
5	कम्पाउन्डर	1350–2200	2
6	लेखा लिपिक	1200–2040	2
7	कनिष्ठ सहायक	950–1500	2
8	टंकक	950–1500	2
9	प्रधान बंदीरक्षक	354–550 (अपुनरीक्षित)	8
10	बंदीरक्षक	330–495 (अपुनरीक्षित)	60
11	रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक	354–550 (अपुनरीक्षित)	2
12	रिजर्व बंदीरक्षक	330–495 (अपुनरीक्षित)	10
13	महिला बंदीरक्षक	तदैव	8
14	चक्की मिस्त्री/विद्युत मिस्त्री	975–1660	2
15	नाई	750–940	2
16	लोहार/बढ़ई	1200–2040	2
17	मेहतर	750–940	4

(ख) साज-सज्जा के स्थूल व्योरे—

क्रम-संख्या	मद	संख्या	दर	लागत
				रु0
	(क) कार्यालय साज-सज्जा—			
1	अधिकारी मेज कुर्सी	6 सेट	2,000	12,000
2	कर्मचारी मेज कुर्सी	12 सेट	12,00	14,400
3	अतिरिक्त कुर्सियां	20	200	4,000
4	रैक्स-छोटे	6	600	3,600
5	रैक्स–बड़े	6	1,200	7,200
6	अलमारी स्टील बडी	10	2,500	25,000
7	टाइप राइटर (हिन्दी)	2	6,000	12,000
8	लेखन सामग्री	2 स्थानों पर	5,000	10,000
9	अन्य कार्यालय साज/सज्जा	2 ,, ,,	5,000	10,000
			योग ..	98,200
	(ख) रसोई गृह उपकरण—			
1	कुकिंग गैस कनेक्शन	2	15,000	30,000
2	कुकिंग बर्तन	2 सेट	10,000	20,000
3	बंदियों के लिये भोजन हेतु बर्तन	100 सेट	80	8,000
			योग ..	58,000

(ग) प्राथमिक चिकित्सा उपकरण--

1	प्राथमिक चिकित्सा उपकरण	2 सेट	5,000	10,000
2	,, ...	2 सेट	3,000	6,000
		योग ..	योग	16,000

(घ) बंदियों पर व्यय--

1--भोजन, कपड़ा, चिकित्सा आदि पर व्यय

	40,500	8,03,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

(हजार रुपयों में)

2056--जेलें-आयोजनेतर--
101--जेलें--
02--जिला कारागार--

01--वेतन		12,77
03--महंगाई भत्ता		4,30
04--यात्रा व्यय		20
05--अन्य भत्ते		2,55
06--कार्यालय व्यय		1,04
07--टेलीफोन पर व्यय		23
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		74
33--अन्य व्यय		8,03
	योग ..	29,86

जिला कारागार ललितपुर हेतु पदों का सृजन।

जिला कारागार, ललितपुर को बने लगभग 10 वर्ष हो गये हैं। यहां का कार्य अन्य कारागारों से स्टाफ स्थानान्तरित कर चलाया जा रहा था परन्तु अब यहां स्थानान्तरित कर्मचारियों को वापस करने की आवश्यकता के कारण जिला कारागार ललितपुर के लिए विभिन्न संवर्ग के पद सृजित किया आवश्यक हो गया है। इन पदों के सृजन के पर वर्ष 1990-91में 4,17,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,17,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
		रु0		
1	चिकित्सा अधिकारी	2200-4000	1	
2	लेखा लिपिक	1200-2040	1	
3	कनिष्ठ सहायक	950-1500	1	
4	टंकक	950-1500	1	
5	महिला प्रधान बंदीरक्षक	950-1500	1	ये वेतनमान स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं।
6	महिला बंदीरक्षक	825-1200	1	
7	प्रधान बंदीरक्षक	950-1500	6	
8	बंदीरक्षक	825-1200	30	
9	नाई	750-940	1	
10	स्वीपर	750-940	1	
11	विद्युतकार	825-1200	1	

(ख)--साज-सज्जा के स्थूल व्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	दर	लागत
1	2	3	4	5
				रु0
(1)	कार्यालय उपस्कर		10,000	10,000
(2)	हिन्दी टंकण यंत्र	1	6,000	6,000
(3)	सीलिंग फैन 48"	3	600	1,800
(4)	कूलर	1	2,000	2,000
(5)	स्टील आलमारी ..	3	2,000	6,000
(6)	चिकित्सा उपकरण आदि	..	10,000	10,000
		योग		35,800

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2056-जेलें-आयोजनेतर--
101-जेलें--
02-जिला कारागार--

01--वेतन		2,40
03--महंगाई भत्ता		82
04--यात्रा व्यय		6
05--अन्य भत्ते		48
06--कार्यालय व्यय		39
33--अन्य व्यय		2
	योग ..	4,17

गृह विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) गृह (पुलिस) विभाग						
1	कतिपय जिलों की पुलिस लाइनों के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था	7,27	..	..	7,27	2055-पुलिस	29 न
2	रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालयों में रंगरूटों के लिये तख्तों की व्यवस्था	7,60	..	..	7,60	तदैव	30 न
3	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के कार्यालय हेतु कर्मचारिवर्ग और साज-सज्जा की व्यवस्था	1,61	..	..	1,61	तदैव	30 न
4	अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के लिये एक हल्की गाड़ी की व्यवस्था	1,55	..	..	1,55	तदैव	31 न
5	पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष शीतकालीन वर्दी की व्यवस्था	39,80	..	..	39,80	तदैव	31 न
6	पुलिस विभाग के कार्यालयों के लिए फोटो कापियर मशीन की व्यवस्था	11,37	..	..	11,37	तदैव	31 न प
7	राज्य पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु क्रय किये गये उपकरणों आदि की देयता का भुगतान एवं उपकरणों आदि का क्रय	1,33,96	..	..	1,33,96	तदैव	31 न
8	इलाहाबाद पुलिस जोन का सुदृढ़ीकरण	3,09	..	..	3,09	तदैव	32 न प
9	पुलिस थानों/चौकियों/कन्ट्रोल रूम/अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों आदि हेतु टेलीफोन की व्यवस्था	9,90	..	..	9,90	तदैव	33 न
10	पी0 एम0 टी0 वर्कशाप लखनऊ का विद्युतीकरण	70	..	..	70	तदैव	33 न
11	मिनी पुलिस लाइन की स्थापना	3,98	..	..	3,98	तदैव	34 न
12	कान्सटेबिल ड्राइवरों के पदों का सृजन	6,83	..	..	6,83	तदैव	34 न

गृह विभाग (क्रमश:)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित की जाने वाली व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
13	पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन, मेरठ के नवनिर्मित भवन का विद्युतीकरण	89	..		89	2055–पुलिस	34 न
14	पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना	1,98	..	..	1,98	तदैव	35 न
15	अभिसूचना इकाई का सुदृढ़ीकरण	2,48	..	..	2,48	तदैव	35 न
16	नई पुलिस लाइन देहरादून में मार्ग प्रकाश तथा सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था	32	..	..	32	2059–लोक-निर्माण	36 न
17	मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को एक जीप की सुविधा उपलब्ध कराया जाना तथा एक एस0 आई0 (एम0) आशु-लेखक और एक चालक के पद का सृजन	1,86	..	..	1,86	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें	36न
18	पुलिस लाइन सहारनपुर में श्रेणी एक के आवास-गृहों में विद्युत आपूर्ति के लिए पावर सब-स्टेशन की विशेष मरम्मत	61	..	..	61	2216–आवास	37 न
19	पुलिस विभाग की जल प्रदाय योजनाओं के लिये धनराशि की व्यवस्था	..	47,49	..	47,49	4215–जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय	38 न
	योग,क	2,35,80	47,49	..	2,83,29		
	ख—नागरिक सुरक्षा विभाग						
20	नव सृजित जनपद सोनभद्र, महराजगंज एवं फिरोजाबाद में होमगार्ड कार्यालय की स्थापना	10,15	..	..	10,15	2070–अन्य प्राशासनिक सेवायें	39 न
21	होमगार्ड मुख्यालय पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन	37	..	..	37	तदैव	40 न
	योग,ख	10,52		..	10,52		
	ग—राजनैतिक पेंशन विभाग						
22	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन में वृद्धि किया जाना	2,00,00	..	..	2,00,00	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	40 न
	कुल योग	4,46,32	47,49	..	4,93,81		

कतिपय जिलों की पुलिस लाइनों के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

जिला गोरखपुर के थाना खोराबार के भवन के ऊपर से 11 के0 बी0 विद्युत लाइन का हटाया जाना--जिला गोरखपुर के थाना खोराबार के भवन के ऊपर से 11 के0 बी0 विद्युत लाइन खिची हुई है। हाई पावर टेन्सन लाइन होने के कारण यह जान माल के लिये अत्यन्त खतरनाक है। अतः इसे हटाकर अन्यत्र ले जाने पर विद्युत वितरण खण्ड गोरखपुर अनुसार 42,264 रु0 व्यय होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप वाराणसी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था- समुचित विद्युत व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप वाराणसी सुचारु रूप से कार्यक्षम नहीं हो पाया है। अतएव इस समस्या के निदान हेतु विद्युत वितरण खण्ड वाराणसी द्वारा संस्तुत तथा मांगी गई 26,412 रु0 की अनुमानित लागत पर 20 अश्व शक्ति का पावर कनेक्शन लिये जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था--समुचित विद्युत व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप मुरादाबाद के कार्य सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। अतः विद्युत वितरण खण्ड मुरादाबाद के प्रस्ताव एवं मांग के अनुसार उक्त वर्कशाप के लिये 1,00,417 रु0 की अनुमानित लागत से 60 किलोवाट क्षमता का विद्युत कनेक्शन लिये जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप आगरा में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---आगरा स्थित क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप में समुचित विद्युत की व्यवस्था न होने के कारण इसके कार्य सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। अतः इसे कार्यक्षम बनाने के लिये विद्युत प्रदेय उपक्रम आगरा की संस्तुति एवं मांग के अनुसार 39,840 रु0 की अनुमानित लागत पर 7.46 किलोवाट क्षमता का विद्युत कनेक्शन लिये जाने का प्रस्ताव है।

जिला बदायूं के फायर स्टेशन सहसवान में विद्युत आपूर्ति--जिला बदायूं के फायर स्टेशन सहसवान के भवन में विद्युत की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण संबंधित कर्मियों को शासकीय कार्य सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ रही है। अतएव विद्युत वितरण सबडिवीजन सहसवान के प्रस्ताव तथा मांग के अनुसार उक्त फायर स्टेशन भवन में 28,742 रु0 की अनुमानित लागत पर विद्युत कनेक्शन लिये जाने का प्रस्ताव है।

जिला रायबरेली के फायर स्टेशन लालगंज में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---जिला रायबरेली के फायर स्टेशन लालगंज मे विद्युत की व्यवस्था न होने के कारण संबंधित कर्मियों को शासकीय कार्य के सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ रही है। अतएव विद्युत वितरण खण्ड रायबरेली के प्रस्ताव तथा मांग के अनुसार उक्त फायर स्टेशन में 38,735 रु0 की अनुमानित लागत पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस लाइन सुल्तानपुर में श्रेणी-1 के 140 आवास गृहों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---अष्टम वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि में पुलिस लाइन सुल्तानपुर में कान्सटेबिल के लिये श्रेणी-1 के 140 आवास गृहों का निर्माण कराया गया है जिनमें विद्युत आपूर्ति के लिये आयोग द्वारा कोई धनराशि संस्तुत नहीं की गई थी। अतएव इन भवनों को रहने योग्य बनाने के लिये विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर के प्रस्ताव एवं मांग के अनुसार 4,51,270 रु0 की अनुमानित लागत पर इन भवनों में विद्युत कनेक्शसन लिये जाने प्रस्ताव है।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल लगभग 7,27,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार प्राय-व्ययक में 7,27,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055---पुलिस-आयोजनेतर---

800---अन्य व्यय---

08---जिला गोरखपुर के थाने खोराबार के भवन के ऊपर से 11 के0 बी0 विद्युत लाइन का हटाया जाना---

33---अन्य व्यय 42

09---क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप वाराणसी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---

19---लघु निर्माण कार्य 26

10---क्षेत्रीय पुलिस मोटर वर्कशाप मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---

19---लघु निर्माण कार्य 1,00

11---क्षेत्रीय पुलिस मोटर वार्कशाप आगरा में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---

19---लघु निर्माण कार्य 40

12---जिला बदायूं के फायर स्टशन सहसबान में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था---

19---लघु निर्माण कार्य 29

(हजार रुपयों में)

13—जिला रायबरेली के फायर स्टेशन लालगंज में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था—

19—लघु निर्माण कार्य 39

14—पुलिस लाइन सुल्तानपुर में नवनिर्मित श्रेणी–1 के 140 आवासगृहों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था—

19—लघु निर्माण कार्य 4,51

योग .. 7,27

रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालयों में रंगरूटों के लिए तख्तों की व्यवस्था ।

प्रदेश में सम्प्रति 33 रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत हैं जिसमें 6250 रंगरूटों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अब तक इनमें से 4363 रंगरूटों के लिये तख्त उपलब्ध है। शेष 1887 रंगरूटों के लिये तख्तों की व्यवस्था और किया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल 7,60,461 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,60,000 रु0 (सुगमांक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-अायोजनेतर--

003--शिक्षा और प्रशिक्षण--

04--रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालय–मुख्य--

06--कार्यालय व्यय-- 7,60

पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के कार्यालय हेतु कर्मचारिवर्ग और साज-सज्जा की व्यवस्था ।

पुलिस बल के प्रशिक्षण संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) तथा उक्त अधिकारी के कार्यालय के लिये आवश्यक स्टाफ पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त अधिकारी के कार्यालय संबंधी कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु उक्त अधिकारी/कार्यालय हेतु एक हिन्दी टंकण यंत्र, 2 टेलीफोन, एक एम्बेसडर कार तथा एक 950–1400 रु0 के वेतन-मान में कान्सटेबिल ड्राइवर का पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर 1,61,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,61,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा, मशीन आदि के स्थूल ब्यौरे--

क्रम-सं0	मद	संख्या	धनराशि
			रु0
1	टंकण मशीन (हिन्दी) ..	1 ..	6,000
2	टेलीफोन ..	2 ..	17,000
3	एम्बेसडर कार ..	1 ..	1,05,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस--

003--शिक्षा और प्रशिक्षण--

01--पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद--

01--वेतन 11

03--महंगाई भत्ता 3

06--कार्यालय व्यय 7

07--टेलीफोन पर व्यय 20

08--मोटर गाड़ियों का क्रय 1,05

09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद 15

योग .. 1,61

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के लिए एक हल्की गाड़ी की व्यवस्था।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के लिये एक जीप जिसका अनुमानित मूल्य 1,55,000 रु0 है, वित्तीय वर्ष 1990-91 में क्रय करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस--आयोजनेतर--
101--अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता--
02--अनुसंधान अनुभाग--
0203--अनुसंधान की अपराध शाखा तथा अन्य इकाइयां--
08--मोटर गाड़ियों का क्रय 1,55

(हजार रुपयों में)

पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष शीतकालीन वर्दी की व्यवस्था।

इस समय 10000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों हेतु स्नो क्लोदिंग तथा 7000 फीट से अधिक किन्तु 10000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों को स्पेशल विन्टर क्लोदिंग की व्यवस्था विद्यमान है। यह अनुभव किया गया है कि 3000 फीट से 7000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात पुलिस/पी0ए0सी0 के जवानों को भी सक्रिय ड्यूटी हेतु "स्पेशल विन्टर क्लोदिंग" उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ताकि वे इन बीहड़ तथा कठोर क्षेत्रों में भी अपनी शारीरिक अवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रख सकें। अतः राज्य के आठ पर्वतीय जनपदों के 3000 से 7000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियुक्त पुलिस/पी0ए0सी0 के जवानों को उक्त सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है। उक्त वर्दी हेतु कुल 39,79,911 रु0 (29,99,245 रु0 अनावर्तक तथा 9,80,666 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 39,80,000 रु0 की सुगमांक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-आयोजनेतर--
109--जिला पुलिस--
01--जिला पुलिस (मुख्य)--
06--कार्यालय व्यय 39,80

पुलिस विभाग के कार्यालयों के लिये फोटो कापियर मशीन की व्यवस्था।

शान्ति एवं व्यवस्था की दृष्टि से कार्यों में शीघ्रता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिये पुलिस विभाग के विभिन्न 11 कार्यालयों के लिये 11 फोटो कापियर मशीनों की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1990-91 में करने का प्रस्ताव है। इन मशीनों के क्रय पर 11,00,000 रु0 अनावर्तक तथा 37,000 रु0 आवर्तक अर्थात् कुल 11,37,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,37,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055-पुलिस--आयोजनेतर--
001--निदेशन और प्रशासन--
01--मुख्य--
06--कार्यालय व्यय 11,37

राज्य पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु क्रय किये गये उपकरणों आदि की देयता का भुगतान एवं उपकरणों आदि का क्रय।

राज्य पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों को तीन चरणों (जीरो फेज, प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण) में कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जीरो फेज/प्रथम चरण में क्रयार्थ प्रस्तावित उपकरणों आदि के मूल्य में वृद्धि के कारण जीरो फेज व प्रथम चरण की देयता

के भुगतान हेतु क्रमशः 96,73,280 रु0 एवं 66,53,000 रु0 कुल 1,63,26,280 रु0 की आवश्यकता है जिसमें से राज्य के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में उक्त देयता का 50 प्रतिशत अर्थात् 48,36,640 रु0 एवं 33,27,000 रु0 कुल 81,63,640 रु0 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रदान की गयी । अब जीरो फेज एवं प्रथम चरण की शेष देयता क्रमशः 48,36,640 रु0 व 33,26,000 रु0 कुल 81,62,640 रु0 का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है ।

इसी प्रकार प्रथम चरण के शेष उपकरणों एवं सहवर्ती उपकरणिकाओं के क्रय हेतु 1,02,55,000 रु0 की आवश्यकता थी किन्तु राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए उक्त धनराशि का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् 50,21,000 रु0 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रदान की गयी । अब शेष उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव है जिस पर 52,33,000 रु0 का अनावर्तक व्यय भार निहित है । इस प्रकार उक्त प्रस्तावों पर 1,33,95,640 रु0 (सुगमता में 1,33,96,000 रु0) का अनावर्तक व्यय भार अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद		धनराशि
		रु0
1--एच0एफ0आर0टी0टी0वाई0 अटेचमेन्ट (65,000 रु0 प्रति की दर से) ..	71	46,15,000
2--3 के0वी0ए0 जेनरेटर (12,000 रु0 प्रति की दर से) ..	30	3,60,000
3--एरियल मास्टर, कोएसियल केबुल आदि (5,000 रु0 प्रति सेट)	15 सेट	75,000
4--वाहीक्यूलर फिटिंग फर्नीचर घड़ी आदि		1,50,000
5--ड्राइफिट बैट्री चार्जर (3,000 रु0 प्रति की दर से)	11	33,000
	योग ..	52,33,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-आयोजनेतर--
109--जिला पुलिस--
03--राज्य रेडियो अनुभाग--
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,33,96

इलाहाबाद पुलिस जोन का सुदृढ़ीकरण

नव सृजित इलाहाबाद जोन के सुचारु रूप से संचालन हेतु कतिपय पदों के सृजन एवं साज-सज्जा की स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव है। इन पदों के सृजन एवं साज-सज्जा के क्रय में 3,09,000 रुपये का व्यय अनुमानित है, तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,09,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतन-क्रम	पदों की संख्या
			रु0	
1	डी0आई0 (एम) आशुलेखक	..	1400-2600	2
2	डी0आई0 (एम) प्रधान लिपिक	..	1400-2600	1
3	एस0आई0एम (ग्रेड-1)	..	1400-2300	2
4	ए0एस आई0 (एम)	..	1320-2040	2
5	हेड कान्सटेबिल	..	975-1660	1
6	कान्सटेबिल	..	950-1400	4
7	चालक (ड्राइवर)	..	950-1400	1
8	अर्दली	..	750-940	2

(ख) साज/सज्जा भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	दर	धनराशि
			रु0	रु0
1	टेलीफोन कनेक्शन	2	8,500	17,000
2	टंकण यंत्र (हिन्दी)	2	6,000	12,000
3	स्टाफ कार	1	1,10,000	1,10,000
			योग ..	1,39,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस--
001--निदेशन और प्रशासन--
01--मुख्य

01--वेतन		1,00
02--मंहगाई भत्ता		29
04--अन्य भत्ते		33
06--कार्यालय व्यय		12
07--टेलीफोन पर व्यय		20
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		1,10
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद		5
योग ..		3,09

पुलिस थानों/चौकियों/कन्ट्रोल रूम/अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों आदि हेतु टेलीफोन की व्यवस्था

प्रदेश में रोकथाम एवं शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस थानों/चौकियों/कन्ट्रोल रूम तथा शान्ति एवं व्यवस्था से संबंधित पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों पर टेलीफोनों की व्यवस्था आवश्यक है । अत: वित्तीय वर्ष 1990-91 में 101 टेलीफोन लगवाने का प्रस्ताव है जिन पर लगभग 8,38,300 रु0 का अनावर्तक तथा 1,51,500 रु0 का प्रारंभिक अर्थात् कुल मिलाकर 9,89,800 रु0 (सुगमांक में 9,90,000 रु0) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,90,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-आयोजनेतर--
109--जिला पुलिस--
01--जिला पुलिस मुख्य--

07--टेलीफोन पर व्यय	9,90

पी0एम0 टी0 वर्कशाप लखनऊ का विद्युतीकरण

जनपद लखनऊ के पी0 एम0 टी0 वर्कशाप में विद्युत् आपूर्ति के अभाव में कई मशीनें बेकार पड़ी होने रहने के कारण वाहनों के सुधार कार्य में बड़ी कठिनाई हो रही है । अतएव 69,575 रु0 की अनुमानित लागत पर उक्त वर्कशाप का विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है ।अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस--आयोजनेतर--
800--अन्य व्यय--
10--लखनऊ के पी0 एम0 टी0 वर्कशाप का विद्युतीकरण--

19--लघु निर्माण कार्य	70

मिनी पुलिस लाइन की स्थापना

राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को दृष्टि से रखते हुए लखनऊ एवं गोरखपुर में मिनी पुलिस लाइन की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर 3,98,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	हेड कान्सटेबिल	975-1660	12
2	कान्सटेबिल	950-1400	22

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-आयोजनागत--
111--रेलवे पुलिस--
01--मुख्य--

01--वेतन	2,28
03--महंगाई भत्ता	78
05--अन्य भत्ते	92
योग ..	3,98

कान्सटेबिल ड्राइवरों के पदों का सृजन

वित्तीय वर्ष 1989-90 में पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पुलिस विभाग हेतु 64 गाड़ियां नियंत्रण कक्ष एवं पुलिस गश्त आदि महत्वपूर्ण कार्यों हेतु स्वीकृत की गईं। उक्त गाड़ियों के संचालन हेतु 64 कान्सटेबिल ड्राइवर के पदों का सृजन 950-1400 रु0 में किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 6,83,416 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 6,83,000 रु0 (सुगमांक) की व्यवस्था कर ली गई है--

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस आयोजनेतर--
115--पुलिस बल का आधुनिकीकरण--
01--राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय-मुख्य--

01--वेतन	3,65
03--महंगाई भत्ता	1,24
05--अन्य भत्ते	1,94
योग ..	6,83

पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ के नव निर्मित भवन का विद्युतीकरण

पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ के लिये नवनिर्मित आवासीय कार्यालय भवन में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय कार्य के सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतएव 89,152 रुपये की अनुमानित लागत पर उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 89,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस-आयोजनेतर--
800--अन्य--
01--विभागीय भवनों के रख-रखाव हेतु एक मुश्त प्राविधान--

23--अनुरक्षण	89

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ हेतु आवश्यक पदों का सृजन किया जाना है। इस कार्य पर वर्ष 1990-91 में 1,98,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन --

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.... D-5460
Date.... 3-12-90

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतनमान	पदों की संख्या
	(क) लाई डिटेक्शन अनुभाग (लखनऊ प्रयोगशाला)			
1	सहायक निदेशक	..	2350-4300	1
2	वैज्ञानिक अधिकारी	..	2000-3200	1
3	आशुलेखक	..	1200-2040	1
4	प्रयोगशाला परिचर	..	750-940	
	(ख) मेडिकोलीगल अनुभाग (लखनऊ प्रयोगशाला)			
1	मेडिकोलीगल आफिसर	..	2350-4300	1
2	प्रयोगशाला परिचर	..	750-940	1
	(ग) उपकरणीय विश्लेषण अनुभाग लखनऊ/आगरा प्रयोगशाला			
1	वैज्ञानिक अधिकारी	..	2000-3200	2
2	वैज्ञानिक सहायक	..	1400-2300	2
3	प्रयोगशाला परिचर	..	750-940	2
	(घ) विस्फोटक अनुभाग (आगरा प्रयोगशाला)			
1	वैज्ञानिक अधिकारी	..	2000--3200	1
2	प्रयोगशाला सहायक	..	875-1660	1
3	कान्सटेबिल ड्राइवर		950-1500	1

3--आय-व्ययक मे व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस आयोजनेतर--

116--विधि चिकित्सा विज्ञान--

01--विधि विज्ञान प्रयोगशालायें--

01--वेतन	..	..	..	..	1,30
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	44
05--अन्य भत्ते		..	..	..	24
			योग	..	1,98

अभिसूचना इकाई का सुदृढ़ीकरण

जनपद कानपुर देहात की स्थानीय अभिसूचना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु उसके सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है जिस पर 2,48,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 2,48000 रु0 की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	निरीक्षक	.. 2000-3200	1
2	उप निरीक्षक	.. 1640-2900	6
3	हेड कान्स्टेबिल	.. 975-1660	4
4	कान्स्टेबिल	.. 950-1400	8
5	ए0 एस0 आई0 (एम0)	.. 1320-2040	1
	कार्यालय चपरासी	.. 750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस-- (हजार रुपयों में)

001--निदेशन और प्रशासन--

01--मुख्य--

01--वेतन	1,48
03--महंगाई भत्ता	57
05--अन्य भत्ते	43
योग ..	2,48

नई पुलिस लाइन देहरादून में मार्ग प्रकाश तथा सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था ।

नई पुलिस लाइन देहरादून के विद्युत प्रकाश व्यवस्था की समस्त फिटिंग्स खराब हो चुकी है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं जिसे बदला जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा नये बन रहे श्रेणी- 1 के 44 आवासगृहों में विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युत कनेक्शन लिये जाने की भी आवश्यकता है। अतएव 32,000 रु0 की अनुमानित लागत पर प्रश्नगत मार्ग प्रकाश तथा विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। अत: वर्ष 1990- 91 के आय-व्ययक में 32,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2059--लोक निर्माण-आयोजनेतर--

051--निर्माण--

04--निर्माण पुलिस--

नई पुलिस लाइन देहरादून में मार्ग प्रकाश तथा सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था ..	32

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून को एक जीप की सुविधा उपलब्ध कराया जाना तथा एक एस0 आई0 (एम0) आशुलेखक और एक चालक के पद का सृजन ।

उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा के लिये स्वीकृत मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून के पद धारक को चालक सहित एक जीप की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एक एस0 आई0 (एम0) आशुलेखक का पद उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रस्ताव पर 46,016 रु0 का आवर्तक तथा 1,39,387 रु0 का अनावर्तक अर्थात् कुल 1,85,403 रु0 का व्यय अनुमानित है। जिसके लिये 1,86,000 रु0 की व्यवस्था वर्ष 1990--91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन---

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग---

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	चालक (ड्राइवर)	975-1660	1
2	एस0आई0 (एम0) आशुलेखक	1400-2300	1

(ख) साज-सज्जा मशीनें भण्डार आदि के स्थूल व्यौरे--

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
1--जीप (मारुति जिप्सी)	1	1,39,387

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2070---अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेतर--

108--आग से बचाव और उसका नियन्त्रण--

01--प्रशासन---

01--वेतन	30
03--महंगाई भत्ता	8
05--अन्य भत्ते	3
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,40
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	5
योग ..	1,86

पुलिस लाइन सहारनपुर में श्रेणी एक के आवास गृहों में विद्युत आपूर्ति के लिए पावर सब स्टेशन की विशेष मरम्मत

जिला सहारनपुर की पुलिस लाइन में श्रेणी एक के 150 आवासगृहों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण अध्यासी पुलिस कर्मियों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण के लिये 60,638 रु0 की अनुमानित लागत पर वर्तमान पावर सब स्टेशन की विशेष मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 61,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2216--आवास-आयोजनेतर--

01--सरकारी रिहायशी इमारतें--

107--पुलिस आवास--

01--निर्माण--पुलिस--आवास-

पुलिस लाइन सहारनपुर में श्रेणी एक के 150 आवास गृहों में विद्युत आपूर्ति हेतु पावर स्टेशन की विशेष मरम्मत .. ..

पुलिस विभाग की जल प्रदाय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था ।

जिला पीलीभीत की पुलिस लाइन, आठ थानों तथा एक चौकी में जल सम्पूर्ति के लिये इण्डिया मार्क-II के हैण्डपम्स की व्यवस्था--जिला पीलीभीत की पुलिस लाइन तथा आठ थानों यथा (1) माधो टान्डा (2) हजारा (3) बरखेरा (4) गजरौला (5) नेवरिया (6) बिलसन्डा (7) जहानाबाद (8) अमरिया एवं पुलिस चौकी घुंघचिआई में समुचित जलसम्पूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण पेयजल का संकट है। अतएव 1,20,000 रु0 की अनुमानित लागत पर पुलिस लाइन में तीन तथा उक्त आठ थानों तथा एक चौकी में एक-एक अर्थात् कुल 12 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्स की व्यवस्था उ0प्र0 जल निगम से कराये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि में जल निगम को देय सुपरविजन आदि की धनराशि भी शामिल है।

पुलिस लाइन रामपुर की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण--जिला रामपुर की पुलिस लाइन में अभी तक जल सम्पूर्ति की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है बल्कि जल सम्पूर्ति केवल कुछ हैण्डपम्स द्वारा की जा रही है जो अत्यन्त असंतोषजनक है। अतएव 14,39,000 रु0 की अनुमानित लागत पर उ0प्र0 जल निगम से जल सम्पूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि में उ0प्र0 जल निगम को देय सुपरविजन आदि की राशि भी शामिल है।

आर्म्ड ट्रेनिंग सेन्टर सीतापुर की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण--जिला सीतापुर में स्थापित पुलिस आर्म्ड ट्रेनिंग सेन्टर में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था नहीं है । जल की आपूर्ति 11वीं वाहिनी पी0ए0सी0 की जल प्रदाय योजना से हो रही है जो अत्यन्त असंतोषजनक है । अतएव 17,33,000 रु0 की अनुमानित लागत पर उ0प्र0 जल निगम से प्रश्नगत ट्रेनिंग सेन्टर में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि में जल निगम को देय सुपरविजन आदि की राशि भी शामिल है ।

जिला बरेली की 10 पुलिस चौकियों तथा एक थाने में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था--जिला बरेली की पुलिस चौकी (1) चौराहा (2) बिहारीपुर (3) श्यामगंज (4) इज्जतनगर (5) यूनिवर्सिटी (6) कोहरापीर (7) गढ़ी (8) कानूनगोयान (9) जगतपुर (10) अशरफखान तथा पुलिस थाना सी0बी0गंज में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण पेय जल का संकट है । अतएव 1,38,600 रु0 की अनुमानित लागत पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा संस्तुत इण्डिया मार्क-II के एक-एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि में जल निगम को देय सुपरविजन आदि की राशि भी शामिल है ।

पुलिस लाइन फतेहपुर की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण--जिला फतेहपुर की पुलिस लाइन में जल का घोर संकट है । इस बीच अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन श्रेणी-1 के 116 आवासगृह और निर्मित करा दिये गये हैं किन्तु जल सम्पूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है । अतएव 13,18,000 रु0 की अनुमानित लागत पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि में निगम को देय सेन्टेज चार्जेज की धनराशि भी शामिल है ।

उपर्युक्त सभी योजनाओं पर कुल 47,49,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 47,49,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4215--जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय--आयोजनेतर--	
01--जलपूर्ति--	
101--शहरी जल पूर्ति--	
03--जिला पीलीभीत की पुलिस लाइन में जल सम्पूर्ति हेतु इण्डिया मार्क-II के तीन तथा आठ थानों एवं एक चौकी में एक-एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था--	
19--लघु निर्माण कार्य	1,20
04--पुलिस लाइन रामपुर में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण--	
18--वृहत् निर्माण कार्य	14,39
05--आर्म्ड ट्रेनिंग सेन्टर सीतापुर में जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	
18--वृहत् निर्माण कार्य ..	17,33
06--जिला बरेली की दस चौकियों तथा एक थाने में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था हेतु एक-एक इण्डिया मार्क-II के हैण्डपम्प की व्यवस्था--	
19--लघु निर्माण कार्य	1,39
07--पुलिस लाइन फतेहपुर में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था का सुदढ़ीकरण--	
18--वृहत् निर्माण कार्य ..	13,18
योग ..	47,49

नवसृजित जनपद सोनभद्र, महाराजगंज एवं फिरोजाबाद में होमगार्ड कार्यालय की स्थापना ।

प्रदेश में सोनभद्र, महाराजगंज एवं फिरोजाबाद तीन नये राजस्व जनपद सृजित किए गए हैं जिनमें होमगार्ड के जिला कार्यालयों की स्थापना की जानी है । जिसके लिये 24 पदों का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है । उक्त पदों तथा जिला कार्यालयों की स्थापना पर 4,81,000 रुपये का आवर्तक तथा 5,34,000 रुपये का अनावर्तक अर्थात् कुल 10,15,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है । तदनुसार आय-व्ययक में 10,15,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जिला समादेष्टा	2200-4000	3
2	जिला समादेष्टा के सहायक	1400-2300	3
3	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	3
4	कनिष्ठ लेखा लिपिक	950-1500	3
5	स्टोर कीपर	950-1500	3
6	मर्दली चपरासी	750-940	3
7	चौकीदार	750-940	3
8	ड्राइवर	950-1500	3

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेतर--		
107--होमगार्ड--		
02--भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय--		
01--वेतन		2,30
03--महंगाई भत्ता		73
04--यात्रा व्यय		22
05--अन्य भत्ते		14
06--कार्यालय		76
07--टेलीफोन पर व्यय		33
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		4,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद		15
11--किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामित्व		90
25--माल तथा सम्पूर्ति		1
33--अन्य व्यय		11
	योग ..	10,15

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	5,07	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 01- आयोजना- विशेष अनुदान- 800-अन्य अनुदान- 29-नागरिक सुरक्षा- 901--होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	50 प्रतिशत

होमगार्ड मुख्यालय पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन ।

होमगार्ड मुख्यालय पर वेतन मान रुपये 2000-3200 में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के सृजन का प्रस्ताव है, जिस पर 37,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 37,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--
आयोजनेतर--
107--होमगार्ड--
02--भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय--

01--वेतन	..	24
30--महंगाई भत्ता	..	8
05--अन्य भत्ते	..	5
योग	..	37

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता-

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता ..	19	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 01-आयोजना-भिन्न अनुदान- 800-अन्य अनुदान- 29-नागरिक सुरक्षा- 2901-होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	50 प्रतिशत

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन में वृद्धि किया जाना ।

शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन में वृद्धि कर इसे 401 रु0 से बढ़ाकर दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 500 रु0 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है । प्रदेश में लगभग 20,000 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, अतः इस वृद्धि के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में लगभग 2,00,00,000 रु0 का अतिरिक्त व्यय भार होने का अनुमान है । अतः चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में उक्त बढ़ोत्तरी हेतु 2,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-आयोजनेतर--
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--
107--स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना--
01--स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशनें--

27--पेंशन तथा आनुतोषिक	..	2,00,00

निर्वाचन विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्वाचन विभाग हेतु सीलिंग फैन एवं अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था	18	..	..	18	2015–निर्वाचन	43 न
2	निर्वाचन कार्यालयों हेतु इलेक्ट्रानिक टाइप-राइटर, साज-सज्जा, संयंत्र एवं उपस्करों की व्यवस्था	2,35	..	.	2,35	तदैव	43 न
3	निर्वाचन विभाग के लिये फोटो कापियर की व्यवस्था	1,70	..	..	1,70	तदैव	44 न
	योग	4,23	..	..	4,23		

निर्वाचन विभाग हेतु सामान फन एवं अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था

निर्वाचन विभाग/निदेशालय में सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र उपलब्ध न होने के कारण अग्निशमन अधिकारियों की संस्तुति पर इन यंत्रों तथा फायर बकेट्स के क्रय करने का प्रस्ताव है। नवसृजित 5 जिलों में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालयों में छत के पंखे उपलब्ध नहीं हैं, अतः उनका भी क्रय किया जाना है। इन दोनों संयंत्रों पर 18,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा भंडार संयंत्रों आदि के स्थूल ब्यौरे---

क्रम-संख्या	मद	संख्या	धनराशि रु0
1	(क) अग्निशमन यंत्र	6 ..	4,000
	(ख) फायर बकेट्स	16 ..	
2	छत के पंखे	20 ..	14,000
	योग ..		18,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2015--निर्वाचन--आयोजनेतर--
103--मतदाता सूचियों को तैयार करना और उनका मुद्रण--
01--विधान सभा एवं संसद
06--कार्यालय व्यय 18

निर्वाचन कार्यालयों हेतु इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, साज-सज्जा, संयंत्र एवं उपस्करों की व्यवस्था।

निर्वाचन विभाग/निदेशालय की कार्यक्षमता में वृद्धि की दृष्टि से एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक्स टाइप राइटर के क्रय करने का प्रस्ताव है। नव सृजित 6 जिलों में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालयों में कतिपय आवश्यक वस्तुयें जिनका विवरण नीचे दिया गया है, भी क्रय किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय, उत्तरकाशी में कैश चेस्ट नहीं है, अतः उसका भी क्रय किया जाना है। इन सभी संयंत्रों एवं उपकरणों पर 2,35,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है

2--व्यय का विभाजन--

संयंत्र एवं उपस्करों के स्थूल ब्यौरे :--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	लागत (रुपये में)
1	इलेक्ट्रानिक द्विभाषी टाइपराइटर	1	25,000
2	कैश चेस्ट	7	21,000
3	स्टील रैक	60	48,000
4	स्टील बाक्स	60	48,000
5	स्टील अलमारी	18	54,000
6	साइड रैक (लकड़ी)	60	18,000
7	साइकिल	6	4,800
8	दीवाल घड़ी	6	1,800
9	कूलर	6	14,400
	योग ..		2,35,000

3--आय--व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2015--निर्वाचन--
103--मतदाता सूचियों को तैयार करना और उनका मुद्रण--
01--विधान सभा एवं संसद--
06--कार्यालय व्यय .. 2,35

निर्वाचन विभाग के लिए फोटो कापियर की व्यवस्था ।

निर्वाचन विभाग / निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के सम्बन्ध में भारत के निर्वाचन आयोग तथा अन्य माध्यमों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें, पत्र और अनुदेश प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रतियां तुरन्त करा कर जिलों को तथा अन्य कार्यालयों को भेजनी पड़ती हैं । इसके लिए एक जीराक्स फोटो कापियर की नितान्त और तुरन्त आवश्यकता है । इस संयंत्र पर 1,70,000 रु० व्यय होने का अनुमान है । अत: इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2015--निर्वाचन--
103--मतदाता सूचियां तैयार करना और उनका मुद्रण--
01--विधान सभा एवं संसद्
06--कार्यालय व्यय 1,70

न्याय विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में स्थित राज्य विधि अधिकारी कार्यालय के नये भवन हेतु फर्नीचर/फर्निशिंग तथा इण्टरकाम की व्यवस्था	1,00	..	..	1,00	2014--न्याय प्रशासन	47 न
2	पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन जनपद मेरठ, आगरा, इलाहाबाद एवं बरेली में एक-एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना	22,58	..	..	22,58	तदैव	47 न
3	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के उपयोगार्थ डीजल जीपों का क्रय	22,62	..	..	22,62	तदैव	48 न
4	प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को आवासीय टेलीफोन की सुविधा	3,25	..	..	3,25	तदैव	49 न
5	न्यायिक प्रशिक्षण अनुसन्धान संस्थान में कम्प्यूटर सेल की स्थापना	6,27	..	..	6,27	तदैव	49 न
6	द्वितीय चरण में 12 जिला जजियों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था	50,00	..	..	50,00	तदैव	49 न
7	15 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा	2,32	..	..	2,32	तदैव	50 न
8	समस्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की आशुलिपिक की सुविधा दिया जाना एवं उनके उपयोगार्थ हिन्दी टाइप-राइटर का क्रय	5,94	..	..	5,94	तदैव	50 न
9	लघुवाद न्यायालयों की स्थापना	37,53	..	..	37,53	तदैव	50 न
10	उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के लिए द्विभाषी इलेक्ट्रानिक्स टाइप-राइटर की व्यवस्था	35	..	..	35	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	52 न
	योग	1,51,86	..	..	1,51,86		

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में स्थित राज्य विधि अधिकारी कार्यालय के नये भवन हेतु फर्नीचर/फर्निशिंग तथा इण्टरकाम की व्यवस्था ।

राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, लखनऊ को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है । उक्त कार्यालय में कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करने के लिए 55,000 रुपये की अनुमानित लागत से इण्टरकाम लगाये जाने एवं 45,000 रुपये की लागत पर फर्नीचर इत्यादि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है । तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक मे व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन-आयोजनेतर--
114--कानूनी सलाहकार परिषदें--
02--विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता--
06--कार्यालय व्यय 1,00

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद मेरठ, आगरा, इलाहाबाद एवं बरेली में एक-एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना

पारिवारिक मामलों में विशेषकर विवाह सम्बन्धी विवादों में आपसी सुलह द्वारा समझौता कराने के उद्देश्य से तथा इन वादों को त्वरित गति से निस्तारण के लिये प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1986 से पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया है । इस अधिनियम के तहत कानपुर एवं लखनऊ में दो-दो तथा झांसी एवं गोरखपुर में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है । उपरोक्त पारिवारिक न्यायालयों के अतिरिक्त मेरठ, आगरा, इलाहाबाद एवं बरेली जनपद में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है । इन न्यायालयों की स्थापना पर 22,58,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है ।

2—व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	न्यायाधीश (जज)]	4500--5700	4
2	परामर्शदाता (काउन्सलर)	2000 रु0 नियत मासिक वेतन	4
3	मुंसरिम रीडर	1400-2600	4
4	आशुलिपिक ग्रेड-1	तदैव	4
5	वादलिपिक/भरण-पोषण लिपिक	1200-2040	4
6	निष्पादन लिपिक/संरक्षणदाता लिपिक	1200-2040	4
7	लेखा लिपिक	1200-2040	4
8	डिप्टी नाजिर	1200-2040	4
9	टंकक/प्रतिलिपिक	950-1500	4
10	दफ्तरी	775-1025	4
11	कार्यालय चपरासी	750-940	4
12	न्यायालय चपरासी	750-940	4
13	अर्दली	750-940	4
14	सन्देशवाहक	750-940	8

(ख) साज-सज्जा, मशीनें, भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
1	टाइपराइटर मशीनें (अनावर्तक)	8	48
2	विधि पुस्तकें (5000 रु0 प्रति न्यायालय) (आवर्तक)	..	20
3	उपस्कर (15000 रु0 प्रति न्यायालय) (अनावर्तक)	..	60
4	लोहे की अलमारियां (अनावर्तक)	8	20
5	दरियां	8	2
6	साइकिलें	8	8
7	दीवाल घड़ियां	8	2
8	प्रासंगिक व्यय (1000 रु0 प्रति न्यायालय)	..	4
		योग ..	1,64

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

105--सिविल और सत्र न्यायालय--

07--पारिवारिक न्यायालय--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	10,56
03--महंगाई भत्ता	3,60
04--यात्रा व्यय	20
05--अन्य भत्ते	2,90
06--कार्यालय व्यय	1,64
07--टेलीफोन पर व्यय	72
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2,88
33--अन्य व्यय	8
योग ..	22,58

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के उपयोगार्थ डीजल जीपों का क्रय ।

प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने स्थानीय एवं जेल निरीक्षण तथा जिले के अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यों आदि के सम्पादन हेतु एक समयबद्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक चार वर्षों में डीजल जीपें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश के 62 जिलों में से 8 पर्वतीय जिलों में एक-एक जीप की सुविधा पहले से उपलब्ध है । इस प्रकार शेष 54 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी है । प्रथम चरण में 15 डीजल जीपों का क्रय किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये द्वितीय चरण, में बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर, कानपुर देहात, मथुरा, आजमगढ़, गाजीपुर, उन्नाव, बांदा तथा मिर्जापुर जनपदों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के प्रयोग हेतु 13 डीजल जीपें तथा इनके परिचालन हेतु 13 ड्राइवरों के पद भी सृजित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 22,62,000 रुपये का व्यय अनुमानित है । तदनुसार 22,62,000 रुपये की वष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु0	
ड्राइवर	950-1500	13

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेत्तर--

105--सिविल और सत्र न्यायालय--

01--जिला तथा सेशन न्यायाधीश--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	1,20
03--महंगाई भत्ता	41
05--अन्य भत्ते	21
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	18,85
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	1,95
योग ..	22,62

प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को आवासीय टेलीफोन की सुविधा ।

विधि और व्यवस्था तथा फौजदारी वादों के निस्तारण से सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु जिले में वरिष्ठतम 35 अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों को 3,25,000 रु0 की अनुमानित लागत से आवासिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । 22 अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों को यह सुविधा पहले से मिली हुई है । अतएव वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 3,25,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन-आयोजनेतर--
108--दण्ड न्यायालय
01--नियमित अधिष्ठान
07--टेलीफोन पर व्यय 3,25

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में कम्प्यूटर सेल की स्थापना ।

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में 6,27,000 रु0 की अनुमानित लागत से कम्प्यूटर सेल की स्थापना का प्रस्ताव है । तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,27,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जूनियर प्रोग्रामर ..	1400-2600 ..	1
2	डेटा इन्ट्री आपरेटर ..	1200-2040 ..	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन-आयोजनेतर--
800--अन्य व्यय--
01--न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान--

01--वेतन		30
03--महंगाई भत्ता		9
05--अन्य भत्ते		9
06--कार्यालय व्यय		5,79
	योग ..	6,27

द्वितीय चरण में 12 जिला जजियों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था ।

प्रदेश मे कलेक्टरी कचेहरियों तथा जिला जजियों का आधुनिकीकरण अहमदनगर (महाराष्ट्र) के पैटर्न पर योजनाबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है । पांच वर्षों की अवधि में सभी जिला जजियों में उक्त आधुनिकीकरण की योजना कार्यान्वित की जानी है । उक्त निर्णय के अनुसार प्रथम चरण में 12 जिला जजियों को उपर्युक्त सुविधा प्रदान की जा चुकी है । वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये द्वितीय चरण में मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मथुरा, इटावा, शाहजहांपुर, झांसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, नैनीताल तथा देहरादून के न्यायालयों में 50,00,000 रु0 की लागत पर आधुनिकीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है । तदनुसार 50,00,000 रु0 की धनराशि वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2014--न्याय प्रशासन-आयोजनेतर--
105--सिविल और सत्र न्यायालय--
01--जिला तथा सेशन न्यायाधीश--

(हजार रुपयों में)

06--कार्यालय व्यय 50,00

---

25 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा ।

25 अपर सिविल जजों के न्यायालयों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों में उच्चीकृत किया गया है । इन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवासिक टेलीफ़ोन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25 टेलीफ़ोनों हेतु 2,32,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

108--दण्ड न्यायालय

01--नियमित अधिष्ठान (हजार रुपयों में)

07--टेलीफ़ोन पर व्यय 2,32

समस्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को आशुलिपिक की सुविधा दिया जाना एवं उनके उपयोगार्थ हिन्दी टाइपराइटर का क्रय ।

मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्यभार उनकी कार्य प्रणाली तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि समस्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को आशुलिपिक की सुविधा उपलब्ध कराई जाय । उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वेतनमान 1200-2040 रुपये में आशुलिपिक के 85 अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता है । उक्त आशुलिपिकों के उपयोगार्थ 85 हिन्दी टाइपराइटर्स क्रय किये जाने का भी प्रस्ताव है । इस हेतु कुल व्यय 5,94,000 रु० अनुमानित है । तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,94,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन :--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	आशुलिपिक	1200--2040	85

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

2014--न्याय प्रशासन-आयोजनेतर-- (हजार रुपयों में)

105--सिविल और सत्र न्यायालय--

04--मुंसिफ

01--वेतन	..	..	..	1,02
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	41
05--अन्य भत्ते	..	..	..	26
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	4,25
		योग ..	..	5,94

लघुवाद न्यायालयों की स्थापना ।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में वादों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 12 लघुवाद के अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन का प्रस्ताव है । यह न्यायालय जिला जजी अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, कानपुर नगर, लखनऊ, मीरजापुर, झांसी, सहारनपुर, आगरा, वाराणसी तथा मुरादाबाद में स्थापित किये जायेंगे । तदनुसार इन न्यायालयों के सृजन के लिये 37,53,000 रुपये के अनुमानित व्यय हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है ।

2--व्यय का विभाजन:--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्रम संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1--प्रतिरिक्त न्यायालयों के लिये--		रु0	
1	जज, लघुवाद न्यायालय	3000--4500	9
2	पेशकार	1200--2040	9
3	आशुलिपिक	1200-2040	9
4	अर्दली	750-940	9
5	चपरासी	750-940	9
6	मुंसरिम	1200-2040	9
7	वाद लिपिक	1200-2040	9
8	इजराय एवं प्रकीर्ण लिपिक तथा दिवालिया लिपिक	1200--2040	9
9	अपील एवं सत्र लिपिक	1200-2040	9
10	प्रतिलिपिक	950--1500	9
2--दीगर न्यायालयों के लिये--			
1	लघुवाद न्यायाधीश	3000--4500	3
2	पेशकार	1200--2040	3
3	आशुलिपिक	1200--2040	3
4	अर्दली	750--940	3
5	चपरासी	750--940	3
6	मुंसरिम	1200--2040	3
7	वाद लिपिक	1200--2040	3
8	इंजराय लिपिक	1200--2040	3
9	प्रकीर्ण एवं दिवालिया लिपिक	1200--2040	3
10	अपील एवं सत्र लिपिक	1200--2040	3
11	प्रतिलिपिक	950--1500	3
12	दफ्तरी	750--940	3

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर

106--लघुवाद न्यायालय--

(हजार रुपयों में)

01--अधिष्ठान--		
01--वेतन		24,25
03--महंगाई भत्ता		8,00
04--यात्रा व्यय		1,00
05--अन्य भत्ते		1,00
06--कार्यालय व्यय		2,16
07--टेलीफोन पर व्यय		88
33--अन्य व्यय		24
योग		37,53

उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के लिए द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड में सरकारी कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करने के लिये 35,000 रु0 की अनुमानित लागत से द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर क्रय करने का प्रस्ताव है। तदनुसार 35,000 रुपये की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:---

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--- आयोजनेतर---
60---अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम---
200---अन्य योजनाएं---
01---उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड--
06---कार्यालय व्यय 35

प्रशासनिक सुधार विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम० संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद के उपयोगार्थ वाहन की व्यवस्था	1,76	..	..	1,76	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	55 न
2	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की लखनऊ स्थित रीजनल शाखा को अनुदान	5	..	..	5	2202—सामान्य शिक्षा	55 ब
	योग,	1,81	..	..	1,81		

मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद के उपयोगार्थ वाहन की व्यवस्था ।

मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद को उनके कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु एक स्टाफ कार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । एक डीजल जीप के क्रय, चालक के एक पद के सृजन तथा अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद पर वित्तीय वर्ष 1990–91 में कुल 1,76,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,76,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है ।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—आयोजनेतर—
091—सम्बद्ध कार्यालय—
01—कार्यालय निरीक्षणालय—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	11
03—महंगाई भत्ता	3
05—अन्य भत्ते	2
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,45
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	15
योग ..	1,7 6

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली की लखनऊ स्थित रीजनल शाखा को अनुदान ।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली की सदस्यता ग्रहण करने, पर राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की सदस्यता शुल्क में 50 प्रतिशत का अनुदान रीजनल शाखा, लखनऊ के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है । सदस्यता शुल्क का भाग प्रत्येक वर्ष 5 आजीवन सदस्यता लेने वाले सदस्यों तथा 1000 की सीमा तक वार्षिक सदस्यता लेने वाले सदस्यों को दिया जाना है । वित्तीय वर्ष 1990–91 में इस मद में 5,000 रु0 का व्यय निहित है । तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 5,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित । धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनेतर—
80—सामान्य—
004—अनुसन्धान—
01—इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान—
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. .. ..

राजस्व विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व संग्रह चपरासियों के लिये वर्दी की व्यवस्था	13,00	..	..	13,00	2029-भू-राजस्व	59 न
2	राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान उ0 प्र0, हरदोई का विकास एवं विस्तार	1,10	..	..	1,10	तदैव	59 न
3	जनपद गाजियाबाद तथा लखनऊ कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेखागार में माइक्रोफिल्मिंग इकाइयों की स्थापना	14,75	..	..	14,75	तदैव	59 न
4	नव सृजित भूमि अध्याप्ति निदेशालय के प्रयोगार्थ एक फोटो कापियर मशीन का क्रय	1,45	..	..	1,45	तदैव	60 न
5	राजस्व परिषद् कार्यालय के लिए इंजीनियरिंग लान प्रिन्टर मशीन की व्यवस्था	2,91	..	..	2,91	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	60 न
7	राजस्व परिषद् में माइक्रोफिल्मिंग व्यवस्था	3,13	..	..	13,13	तदैव	61 न
7	राजस्व परिषद् में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना	,51	..	..	19,51	तदैव	62 न
8	राजस्व परिषद् स्थित आडोटोरियम भवन में 9 एयर-कण्डीशनर्स की व्यवस्था	8,00	..	..	8,00	तदैव	62 न
9	प्रदेश के 27 नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मैजिस्ट्रेट के आवासों पर टेलीफोन की सुविधा	2,01	..	..	2,01	2053-जिला प्रशासन	62 न
10	जिलाधिकारी फतेहपुर के आवास की विशेष मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था	2,08	..	..	2,08	तदैव	62 न
11	गाजियाबाद जनपद में रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट, नोएडा के लिए 1 डीजल जीप का क्रय, एवं वाहन चालक के एक पद का सृजन	1,68	..	..	1,68	तदैव	63 न

राजस्व विभाग (क्रमश:)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें––आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड मुरादाबाद में स्थित कम्प्यूटर रूम का विद्युतीकरण	13	..	..	13	2059–लोक निर्माण	63 न
13	जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुन्सियारी के राजस्व भवनों का विद्युतीकरण	33	..	..	33	तदैव	64 न
14	तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी के आवासीय भवनों का विद्युतीकरण	33	..	..	33	2216–आवास	64 न
15	जनपद नैनीताल के मुख्यालय के 32 चपरासी क्वार्टरों का विद्युतीकरण	49	..	..	49	तदैव	64 न
16	नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के पोषण हेतु नयी प्रणाली लागू किये जाने के लिए आपदा राहत निधि में राज्य/केन्द्र सरकार का अंशदान	90,00,00	..	..	90,00,00	2245–दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	65 न
	योग	90,80,90	..	..	90,80,90		

राजस्व संग्रह चपरासियों के लिए वर्दी की व्यवस्था

एकीकृत संग्रह योजना में कार्यरत संग्रह चपरासियों के कार्य को ध्यान में रखते हुए और उनकी पहचान बनाए रखने के लिये यह प्रस्तावित है कि संग्रह चपरासियों को एक समयबद्ध योजना के अनुसार वर्दी उपलब्ध करायी जाय । अतः प्रथम चरण में वर्ष 1990–91 में ऐसे संग्रह चपरासियों जिन्होंने 10 वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण कर ली है को वर्दी उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है । अतः लगभग 3500 संग्रह चपरासियों को वर्दी दिये जाने के लिये वर्ष 1990–91 में 13,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः––

(हजार रुपयों में)

2029–भू–राजस्व–आयोजनेतर––

101–संग्रहण प्रभार––

01–भू–राज्य (मालगुजारी), तकावी, नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार––

06––कार्यालय व्यय 13,00

राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र०, हरदोई का विकास एवं विस्तार

हरदोई संस्थान में भू-लेख निरीक्षक संवर्ग (नायब तहसीलदार), तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी, आई० ए० एस०/आई० पी० एस०, पी० पी० एस० एवं पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों को रिफेशर कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक पुस्तकें एवं अन्य तकनीकी उपकरण की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस पर 1,10,000 रु० का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 1,10,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः–– (हजार रुपयों में)

2029––भू-राजस्व-आयोजनेतर––

02––भूमि व्यवस्था (लैण्ड रिफार्म्स) आयुक्त––

800––अन्य व्यय––

0205––उ० प्र० सर्वेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के विकास एवं विस्तार की योजना––

06––कार्यालय व्यय	70
20––सज्जा/उपकरण और संयंत्र	40
योग ..	1,10

जनपद गाजियाबाद तथा लखनऊ कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेखागार में माइक्रोफिल्मिंग इकाई की स्थापना

जनपद व तहसील स्तर के राजस्व अभिलेखों में बन्दोबस्त तथा जिल्द चकबन्दी की मूल प्रति सुरक्षित रखी जाती है। इसकी नकल हलका लेखपालों के पास रहती है। अगर दोनों प्रतियों में हेर-फेर कर दिया जाए तो सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। साफ सुथरे प्रशासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मूल प्रति की माइक्रो-फिल्म बनवाकर अन्यत्र सुरक्षित रखी जाये ताकि भ्रष्ट क्रिया-कलापों की सम्भावना न रहे। अतः गाजियाबाद तथा लखनऊ कलेक्ट्रेट में एक-एक माइक्रोफिल्मिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990–91 में इन पर 14,75,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 14,75,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रम-संख्या		वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	माइक्रो फोटो ग्राफिस्ट ..	1600–2660	2
2	माइक्रो फिल्म आपरेटर ..	950–1500	2
3	अटेन्डेन्ट (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) ..	750–940	2

(ख) उपकरण तथा साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे—

क्रम-संख्या	मद	दर	संख्या	अनुमानित लागत
		रु0		रु0
1	रीडर प्रिन्टर ..	2,25,000	2	4,50,000
2	फायर प्रूफ कैबिनट ..	30,000	2	60,000
3	एयर कन्डीशनर 1.5 टन ..	26,000	2	52,000
4	ड्राइंग कापियर ..	2,37,000	2	4,74,000
5	फर्नीचर, विद्युतीकरण आदि-आदि ..	..	2 स्थानों पर	1,77,000
			योग ..	12,13,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2029—भू-राजस्व—आयोजनेतर— (हजार रुपयों में)

103—भू-अभिलेख—

02—जिला व्यय—

01—वेतन	..	40
03—महंगाई भत्ता	..	14
05—अन्य भत्ते	..	8
06—कार्यालय व्यय	..	2,00
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	12,13
	योग : ..	14,75

नव-सृजित भूमि अध्याप्ति निदेशालय के प्रयोगार्थ एक फोटो कापियर मशीन का व्यय

भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित कार्यों पर समुचित नियंत्रण हेतु भूमि अध्याप्ति निदेशालय के लिए फोटो कापियर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में कुल 1,45,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2029—भू-राजस्व—आयोजनेतर—

001—निदेशन एवं प्रशासन—

01—भूमि अध्याप्ति—सामान्य राजस्व —

06—कार्यालय व्यय		9
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		1,36
योग ..		1,45

राजस्व परिषद् कार्यालय के लिये इंजीनियरिंग प्लान प्रिन्टर मशीन की व्यवस्था

राजस्व परिषद् कार्यालय के लिए प्राचीन मानचित्रों की पालिएस्टर पेपर पर प्रतियां तैयार कर सुरक्षित रखने हेतु इंजीनियरिंग प्लान प्रिन्टर मशीन की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर 1990–91 में 2,91,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में कुल 2,91,000 रु0 की व्यवस्था कर दी गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें— (हजार रुपयों में)

091—सम्बद्ध कार्यालय

099—राजस्व परिषद्

01—राजस्व परिषद्

20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र .. 2,91

राजस्व परिषद् में माइक्रोफिल्मिंग व्यवस्था ।

राजस्व परिषद् स्थित मानचित्रालय में राजस्व विभाग के मानचित्रों का व्यापक स्तर पर अभिलेख रखा जाता है। इस संग्रहालय में नये मानचित्रों के साथ-साथ पुराने मानचित्र भी विद्यमान हैं। कुछ मानचित्र मुगल सम्राट अकबर के काल से सम्बन्धित है जो काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। भू-अभिलेख ही नहीं एतिहासिक दृष्टि से संग्रहित मानचित्रों का विशेष महत्व है। अतः प्रस्तावित है कि इनको सुरक्षित बनाये रखने के लिए इनकी माइक्रो-फिल्म बनवायी जाए। अतः राजस्व परिषद् मुख्यालय पर एक माइक्रो-फिल्मिंग इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस पर 13,13,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	माइक्रो फोटोग्राफिस्ट ..	1600—2660	1
2	माइक्रो-फिल्म आपरेटर ..	950—1500	1
3	चतुर्थ श्रेणी ..	750—940	1

(ख) मशीन / साज-सज्जा के स्थूल ब्यौरे—

क्रम-संख्या	मद	दर	संख्या	अनुमानित लागत
				रु०
1	प्लेन पेपर रीडर प्रिन्टर	5,50,000	1	5,50,000
2	रीडर प्रिन्टर हेतु बर्क स्टेशन तथा स्टैण्ड ..	14,850	1	14,850
3	फायरप्रूफ कैबिनेट्स	41,280	2	82,560
4	लाजिक कन्ट्रोलर	2,95,450	1	2,95,450
5	माइक्रो-फिल्म स्टोर व्यवस्था	1,31,330	1	1,31,330
6	एयर कण्डीशनर्स 2 टन	39,137	2	7,38,275
7	फर्नीचर, विद्युतीकरण आदि	..	..	30,000
			योग ..	11,82,465

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें— (हजार रुपयों में)

091—संबद्ध कार्यालय—

019—राजस्व परिषद्—

01—राजस्व परिषद्—

01—वेतन		20
03—महंगाई भत्ता		7
05—अन्य भत्ते		4
0 —कार्यालय व्यय		1,00
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र ..		11,82
योग ..		13,13

राजस्व परिषद् में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना ।

राजस्व परिषद् कार्यालय में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने एवं एल0 टी0 पैनल बोर्ड आदि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें वित्तीय वर्ष 1990-91 में 19,51,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में कुल 19,51,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणो-परान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--
091--सम्बद्ध कार्यालय--
099--राजस्व परिषद्--
01--राजस्व परिषद्--
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 19,51

राजस्व परिषद् स्थिति आडीटोरियम भवन में 9 एयरकन्डीशनर्स की व्यवस्था ।

राजस्व परिषद् स्थित आडीटोरियम भवन के वातानुकूलन हेतु तीन टन वाले 9 एयरकन्डीशनर्स लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 8,00,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 8,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--
091-सम्बद्ध कार्यालय--
099--राजस्व परिषद्--
01--राजस्व परिषद्--
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 8,00

प्रदेश के 27 नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट के आवासों पर टेलीफोन की सुविधा

प्रदेश के अधिकांश नगर मैजिस्ट्रेटों/अपर नगर मैजिस्ट्रेटों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रशासनिक कार्य के सम्पादन में और गतिशीलता एवं तत्परता लाने तथा उक्त अधिकारियों को प्रभावकारी बनाने के लिये उनके आवासों पर 27 और टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में उक्त प्रस्ताव पर कुल 2,01,000 रु0 (13,000 आवर्तक तथा 1,88,000 रु0 अनावर्तक) व्यय अनुमानित है। तदनुसार इस प्रयोजनार्थ आय-व्यय में 2,01,000 रु0 की व्यवस्था करली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परिक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2053--जिला प्रशासन-आयोजनेतर--
093--जिला स्थापना--
01--कलेक्ट्री स्थापना--
07--टेलीफोन पर व्यय 2,01

जिलाधिकारी फतेहपुर के आवास की विशेष मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था

जिलाधिकारी फतेहपुर के आवास की विशेष मरम्मत कराये जाने के लिए वर्ष 1990-91 में 2,08,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तदनुसार आय-व्ययक में 2,08,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2053--जिला प्रशासन--
093--जिला स्थापना--
01--कलेक्टरी स्थापना--
23--अनुरक्षण 2,08

गाजियाबाद जनपद में रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट, नोएडा के लिये 1 डीजल जीप का क्रय, एवं वाहन चालक के एक पद का सृजन

नोएडा के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए वहां रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। प्रशासनिक कार्य के सम्पादन में गतिशीलता एवं तत्परता लाने तथा उक्त पद पर तैनात अधिकारी को प्रभावकारी बनाने के लिये वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है इसलिए उक्त अधिकारी के शासकीय प्रयोगार्थ एक डीजल जीप के क्रय, वाहन चालक के एक अस्थायी पद की वेतनमान 950-1500 रु0 में सृजित किये जाने तथा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष (1990-91) में उक्त प्रस्ताव पर कुल 1,68,000 रुपये (15,000 रु0 आवर्तक तथा 1,53,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,68,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-सं0	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	चालक ..	950-1500	1

(ख) साज-सज्जा/मशीन/भण्डार-गाड़ियों आदि के स्थूल ब्यौरे--

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
1 डीजल जीप	1	1,53,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2053--जिला प्रशासन-आयोजनेतर--
093--जिला स्थापना--
01--कलेक्ट्री स्थापना--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	5
03--महंगाई भत्ता	4
05--अन्य भत्ते	1
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,53
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल/डीजल की खरीद	5
योग	1,68

कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड मुरादाबाद में स्थित कम्प्यूटर रूम का विद्युतीकरण।

कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड मुरादाबाद में स्थित कम्प्यूटर रूम का 12,700 रु0 की लागत पर विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था सम्मिलित करली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2059--लोक निर्माण-आयोजनेतर--
60--अन्य इमारतें--
101--निर्माण-
01-निर्माण जिला प्रशासन--
0101-कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में कम्प्यूटर कक्ष का विद्युतीकरण--

19-लघु निर्माण कार्य	13

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुन्सियारी के राजस्व भवनों का विद्युतीकरण

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुन्सियारी के राजस्व भवनों का 33,500 रु0 की अनुमानित लागत पर विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 33,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2059--लोक निर्माण-आयोजनेतर--
01--कार्यालय की इमारतें--
101--निर्माण-सामान्य पूल का कार्यालय आवास--
01--भवन-जिला प्रशासन-
0101--जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुन्सियारी के राजस्व भवनों का विद्युतीकरण--
19-लघु निर्माण कार्य 33

तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तर काशी के आवासीय भवनों का विद्युतीकरण

जनपद उत्तर काशी की तहसील भटवाड़ी के आवासीय भवनों का 33,570 रु0 की अनुमानित लागत पर विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 33,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2216--आवास-आयोजनेतर--
01--सरकारी रिहायशी-इमारतें--
700--अन्य आवास--
03--निर्माण-जिला प्रशासन-
0301-तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तर काशी के आवासीय भवनों का विद्युतीकरण--
19-लघु निर्माण कार्य 33

जनपद नैनीताल के मुख्यालय के 32 चपरासी क्वार्टरों का विद्युतीकरण

जनपद नैनीताल के मुख्यालय पर 32 चपरासी क्वार्टरों का 49,000 रु0 की अनुमानित लागत पर विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 49,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2216--आवास-आयोजनतर--
01--सरकारी रिहायशी इमारतें--
700--अन्य आवास-
03-निर्माण जिला प्रशासन-
0302-जनपद नैनीताल के मुख्यालय के 32 चपरासी क्वार्टरों का विद्युतीकरण--
19-लघु निर्माण कार्य 49

नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के पोषण हेतु नयी प्रणाली लागू किये जाने के लिए आपदा राहत निधि में राज्य/केन्द्र सरकार का अंशदान।

नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु प्रचलित प्रणाली को पूर्णतः बदलकर एक नयी प्रणाली लागू करने की संस्तुति की गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक आपदा राहत निधि गठित की जायगी। इस निधि में इस प्रदेश के लिये प्रति वर्ष 90.00 करोड़ रु0 जमा किये जायेंगे जिसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश 75 प्रतिशत आयोजनेतर अनुदान के रूप में और शेष 25 प्रतिशत अर्थात् 22.50 करोड़ रु0 राज्य सरकार अपने संसाधनों से अंशदान के रूप में जमा करेगी। इस निधि की अभिरक्षा और संचालन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रक्रिया निर्धारित हो जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायगी। निधि से व्यय के लिये समुचित व्यवस्था बजट में सम्मिलित कर ली गई है। निधि में धन संक्रमित करने के लिये कुल 90,00,00,000 रुपये की आवश्यकता है जिसके लिये समतुल्य धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2245--दैवी विपत्तियों के सबंध में राहत--
04--आकाल राहत निधि--
797--आरक्षित निधियों और निक्षेप लेखाओं को अन्तरण--
01--आपदा राहत निधि में राज्य/केन्द्र सरकार का अंशदान--
14-सहायक अनुदान/राज सहायता/अंशदान 90,00,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपये में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार धनराशि अभिधारित की गई
अनुदान ..	67,50,00	16 01-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान--	75 प्रतिशत
		01--आयोजनाभिन्न अनुदान	
		800--अन्य अनुदान--	
		51--राजस्व--	
		5103--आपदा राहत निधि के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार का अंश	

वित्त विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय जन वित्त एवं नीति संस्थान (नेशनल इस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी), नई दिल्ली को आवर्तक अनुदान	1,00	..	..	1,00	2052–सचिवालय सामान्य सेवायें	69 न
2	प्रदेश शासन के धन का उचित उपयोग तथा चयनित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु अध्ययन	8,00	..	..	8,00	तदैव	69 न
3	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के मण्डल/जिला सम्परीक्षा कार्यालयों हेतु डेस्क कलकुलेटर का क्रय	2,72	..	..	2,72	2054–राजकोष और लेखा प्रशासन	69 न
4	प्रदेश के दो कोषागारों (आगरा एवं वाराणसी) में इण्टर-काम की व्यवस्था	64	..	..	64	तदैव	70 न
5	प्रदेश के 60 कोषागारों को गैस से जलने वाले पेट्रोमेक्स उपलब्ध कराया जाना	60	..	..	60	तदैव	70 न
6	वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में एक शोध प्रकोष्ठ की स्थापना	3,72	..	..	3,72	2054–राजकोष तथा लेखा प्रशासन	70 न
7	कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ के लिये एक अतिरिक्त टेलीफोन की व्यवस्था	12	..	..	12	तदैव	71 न
8	उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदों की स्वीकृति हेतु मापदण्डों के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु एक कोष्ठक का गठन	1,75	..	..	1,75	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें	71 न
9	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में पी0 सी0 ए0 टी0 कम्प्यूटर की स्थापना	3,65	..	..	3,65	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	72 न
10	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अधीनस्थ जनपद कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था	1,77	..	..	1,77	2425–सहकारिता	73 न

वित्त विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें––आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश, पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीनस्थ तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना	10,98	..	..	10,98	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	73 न,
12	रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक फोटो स्टेट मशीन का क्रय	1,35	..	..	1,35	तदैव	74 न
	कुल योग	36,30	..	..	36,30		

राष्ट्रीय जन-वित्त एवं नीति संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी) नई दिल्ली को आवर्तक अनुदान।

राष्ट्रीय जन-वित्त एवं नीति संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी) एक राष्ट्रीय महत्व का अध्ययन व शोध संस्थान है, जो जन-वित्त के क्षेत्र में शोध कार्य करके राज्य सरकारों को सलाह देने का भी उत्तरदायित्व निभा रहा है। संस्थान की सेवाओं का लाभ उठाने तथा उसे आवर्तक अनुदान स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार ने भी प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। अतः इस प्रदेश की तत्संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए इस संस्थान की विशेष अध्ययनों को कराने के साथ-साथ विशेषज्ञ सेवा भी उपलब्ध कराने के लिये प्रतिवर्ष 1,00,000 रु0 का भुगतान किये जाने हेतु आय-व्ययक में व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार 1990–91 के बजट में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें—आयोजनेतर—
091—सम्बद्ध कार्यालय—
02—डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज—
14—सहायक अनुदान /राज सहायता/अंशदान 1,00

प्रदेश शासन के धन का उचित उपयोग तथा चयनित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु अध्ययन।

प्रदेश के विकास हेतु संसाधनों की कमी को दूर करने के उपायों एवं अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु अध्ययन कराने की नितान्त आवश्यकता है। पूर्व में नई पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्व कराधान जांच समितियां गठित की गईं जिन्होंने नई योजना के पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन के सुझाव दिये। ऐसी समितियां वर्ष 1968, 1974, 1980 व 1984 में गठित की गई जिनके द्वारा कर एवं करेत्तर राजस्व की सम्पूर्ण स्थिति, कर के ढांचे की उपयोगिता, कर प्रशासन की प्रभाविक्ता, कर की चोरी रोकने एवं करेतर राजस्व में वृद्धि आदि करने के सुझाव दिये जो प्रदेश शासन के हित में लाभकारी रहे हैं। उपरोक्त स्थिति के अधीन यह प्रस्तावित है कि आठवें पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त संसाधन जटाने हेतु एक छोटा विशेषज्ञ दल बनाया जाय जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन करके अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने पर विचार करे। यह विशेषज्ञ दल अन्य प्रदेशों में अतिरिक्त संसाधन जुटारें के लिये अपनाई गई नीति एवं नई दिशाओं का अध्ययन भी करे और प्रदेश के आर्थिक वातावरण में अपनाने का सुझाव दें। उपरोक्त के अतिरिक्त विशेषज्ञ दल विकास के उपायों में संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता लाये जाने तथा धन का उचित उपयोग करने के सुझावों का भी अध्ययन करे। उपर्युक्त अध्ययन पर कुल लगभग 14 लाख रु0 तथा वर्ष 1990 91 में लगभग 8,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है जिसे वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें—आयोजनेतर—
091—सम्बद्ध कार्यालय—
02—डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज—
10—व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान 8,00

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के मण्डल/जिला सम्परीक्षा कार्यालयों हेतु डेस्क कलकुलेटर का क्रय

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद के मण्डल/जिला सम्परीक्षा कार्यालयों में आहरण एवं वितरण के कार्य के समुचित सम्पादनार्थ न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर एक एक डेस्क कलकुलेटर अर्थात् कुल 68 डेस्क कलकुलेटर की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जिसपर वित्तीय वर्ष 1990–91 में 2,72,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 2,72,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2054—राजकोष और लेखा प्रशासन—आयोजनेतर—
098—स्थानीय निधि लेखा परीक्षा—
01—अधिष्ठान व्यय—
06—कार्यालय व्यय 2,72

प्रदेश के दो कोषागारों (आगरा एवं वाराणसी) में इन्टरकाम की सुविधा

कार्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी कोषागारों में विभिन्न चरणों में विभिन्न लाइनों वाले इन्टरकाम को सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था जिसके अन्तर्गत 51 कोषागारों को उक्त सुविधा अब तक उपलब्ध करायी जा चुकी है और वर्ष 1990-91 में "ए" श्रेणी के दो और कोषागारों (आगरा व वाराणसी) को 12 लाइनों वाली अपट्रान टाकमैन माडल के एक-एक इन्टरकाम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है जिन पर प्रति सेट 32,000 रु0 की दर से कुल 64,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2054-राजकोष तथा लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--
097-राजकोष स्थापना-
01-मुख्य--
06-कार्यालय व्यय 64

प्रदेश के 60 कोषागारों को गैस से जलने वाले पेट्रोमेक्स उपलब्ध कराया जाना

कार्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 60 कोषागारों को प्रति कोषागार दो-दो की दर से कुल 120 गैस से चलन वाले पेट्रोमेक्स उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस पर प्रति पेट्रोमेक्स 250 रु0 की दर से कुल 30,000 रुपये का अनावर्तक व्यय तथा प्रति रिफिल पर 30 रु0 प्रति माह की दर से 30,000 वार्षिक का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 60,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2054--राजकोष तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेतर--
097--राजकोष स्थापना--
01--मुख्य--
06--कार्यालय व्यय 60

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में एक शोध प्रकोष्ठ की स्थापना

वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ कर नई विधाओं एवं प्राविधिकी पर शोधकर परामर्श देने एवं उन्हें लागू करने हेतु उ0प्र0 वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में एक शोध प्रकोष्ठ की स्थापना करने का प्रस्ताव है। उक्त शोध कक्ष की स्थापना पर वर्ष 1990-91 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर 1,32,000 रु0 का आवर्तक तथा फोटो-कापियर मशीन और पर्सनल कम्प्यूटर के क्रय पर 2,40,000 रु0 अनावर्तक अर्थात् कुल 3,72,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
	रु0	
1--शोध अधिकारी/सहायक निदेशक	.. 2200-4000	.. 1
2--प्रोग्रामर	.. 2200-4000	.. 1
3--डेटा इन्ट्री आपरेटर/वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	.. 1

(ख) उपकरणों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
1--फोटोकापियर मशीन	.. 1	1,50
2--पर्सनल कम्प्यूटर	.. 1	90

3- - आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:- -

2054- - राजकोष और लेखा प्रशासन-आयोजनेतर- -
003- -प्रशिक्षण- -
01- -वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान- -

(हजार रुपयों में)

01- -वेतन	..	..	..	..	86
03- - महंगाई भत्ता	..	..	..	..	30
05- -अन्य भत्ते	..	..	..	..	16
06- - कार्यालय व्यय	..	..	..	..	2,40
			योग	..	3,72

कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ के लिए एक अतिरिक्त टेलीफोन की व्यवस्था

वरिष्ट कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिये अलग से एक टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर कुल 12,000 रु0 (10,000 रु0 अनावर्तक तथा 2,000 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

3- -आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:- -

(हजार रुपयों में)

2054-राजकोष तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेतर- -
097-राजकोष स्थापना- -
01-मुख्य- -

07-टेलीफोन पर व्यय ..	..	..	..	..	12

प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदों की स्वीकृति हेतु मापदन्डों के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु एक कोष्ठक का गठन

राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" तथा "घ" के संवर्गों में पदों के सृजन तथा नई नियुक्तियां किये जाने के मापदण्डों आदि के पुनरीक्षण, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सवर्ग में उतने ही पद सृजित हैं और उतने ही व्यक्ति कार्यरत हैं, जो कार्य की दृष्टि से आवश्यक हों परीक्षण करने के लिये वर्ष 1988 में एक समिति गठित की गई थी। उक्त समिति द्वारा विस्तृत रूप पत्र निर्धारित करते हुए समस्त सचिवों/विभागाध्यक्षों से उनके अधीन राज्याधीन सेवाओं के सम्बन्ध में समस्त पदों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी गई थी। कुछ विभागों में काम चलाने हेतु कतिपय पदों के मापदण्ड अपने स्तर पर अपना लिये हैं। जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। कतिपय विभागों में कुछ पदों के मापदण्ड अनेकों वर्षों पूर्व निर्धारित किये गये थे जिनके वर्तमान परिस्थितियों में पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। अभियन्त्रण विभागों में निर्माण कार्यों के लिये तकनीकी पदों की स्वीकृति हेतु धनराशियों के आधार पर पदों के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जो मूल्यों में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो जाते हैं। उक्त से विदित होता है कि विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों की स्वीकृति हेतु मापदण्डों के निर्धारण/पुनरीक्षण का कार्य अत्यन्त जटिल है। सही तथा अद्यावधिक मापदण्डों के अभाव में पदों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत करने में कठिनाई होती है तथा बहुत से विभागों में पद आवश्यकता से कहीं अधिक चलते रहते हैं, जिन्हें बन्द किया जा सकता है। इससे मितव्ययता होगी तथा इस धनराशि और पदों को अन्य आवश्यक मदों पर लगाया जा सकता है। अतः विभिन्न विभागों में उपलब्ध स्टाफ का अध्ययन कर वास्तविक स्टाफ की आवश्यकता का आंका जाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये विभागों की कार्यप्रणाली तथा पदों के ढांचों का गहन परीक्षण करना होगा। उपरोक्त कार्य को करने के लिये वित्त विभाग में एक पृथक कोष्ठक की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें नीचे उल्लिखित अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी। यह कार्य अत्यन्त जटिल तथा श्रम-साध्य होगा। अतः इस कार्य पर केवल वही अधिकारी/कर्मचारी लगाये जायेंगे जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का विस्तृत अनुभव हो तथा इसमें विशेष रुचि रखते हों। इन अतिरिक्त पदों के लिये वर्ष 1990-91 में 1,75,000 रुपये (आवर्तक) की धनराशि की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1990-91 की आय-व्ययक में 1,75,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2- -व्यय का विभाजन- -

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग- -

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान (रु0)	पदों की संख्या
1	विशेष कार्याधिकारी (नि:संवर्गीय)	3000-4500	1
2	अनुभाग अधिकारी (नि: संवर्गीय)	2000-3500	1
3	प्रवर वर्ग सहायक	1400-2600	1
4	अवर वर्ग सहायक	1200-2040	1
5	चपरासी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनेतर--

01--राज्य आयोग और समितियां---

0102---पद मापदण्ड निर्धारण कोष्ठक का गठन--

(हजार रुपयों में)

01---वेतन	.. ..	97
03---महंगाई भत्ता	.. ..	37
04---यात्रा भत्ता	.. ..	9
05---अन्य भत्ते	.. ..	30
06--कार्यालय व्यय	.. ..	2
	योग ..	1,75

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में पी०सी०ए०टी० कम्प्यूटर की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय की कार्य-पद्धति में और सुधार लाये जाने हेतु 3,45,000 रु० की अनुमानित लागत पर एक पी०सी०ए०टी० कम्प्यूटर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,65,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन---

(क) अपेक्षित कर्मचारीवर्ग--

वर्ग	वेतन-क्रम	संख्या
	रु०	
प्रोग्रामर-कम-कनसोल आपरेटर	1640-2900	1

(ख) उपकरणों के स्थूल ब्योरे--

मद	संख्या	धनराशि
		रु०
पी० सी० ए० टी० कम्प्यूटर	1	3,45,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:---

(हजार रुपयों में)

2235---सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- आयोजनेतर---

60---अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

105-सरकारी कर्मचारी बीमा योजना---

01-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वियन---

01---वेतन	10
03---महंगाई भत्ता	3
05---अन्य भत्ते	2
06---कार्यालय-व्यय	5
20---मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,45
योग	3,65

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अधीनस्थ जनपद कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था ।

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के कार्य संपादन में दक्षता एवं गतिशीलता बढ़ाने के लिये उन 25 जिला कार्यालयों में जो पहले से स्थापित है और जहां टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वहां टेलीफोन लगाये जाने का प्रस्ताव है । इन टेलीफोनों के लगाये जाने पर वर्ष 1990–91 में 1,77,000 रु0 (1,27,000 अनावर्तक तथा 50,000 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,77,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

(हजार रुपयों में)

2425––सहकारिता––आयोजनेतर––
101––सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा––
01––सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान––
07––टेलीफोन पर व्यय 1,77

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीनस्थ तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना ।

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन 9 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कई चरणों में की जा चुकी है। शेष 3 मण्डलों फैजाबाद, इलाहाबाद तथा मुरादाबाद में जनता को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त कार्यालयों की स्थापना के लिये साज-सज्जा, पदों आदि के सृजन पर वर्ष 1990-91 में कुल 10,98,000 रु0 (9,07,000 रु0 आवर्तक तथा 1,91,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,98,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2		3	4
			रु0	
1	सहायक रजिस्ट्रार	..	2200-4000	3
2	वरिष्ठ सहायक	..	1200-2040	4
3	कनिष्ठ लिपिक	..	950-1500	4
4	अन्वेषक	..	1400-2600	3
5	चिट आडीटर	..	1200-2040	3
6	आशुलिपिक	..	1200-2040	3
7	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	..	775-1025	3
8	चपरासी/चौकीदार	..	750-940	9

(ख) भारत में क्रय की जाने वाली सज्जा भण्डार/मशीन/गाड़ियों इत्यादि के स्थूल ब्यौरे :––

क्रम-संख्या			संख्या	धनराशि (रुपये)
1	अधिकारी कुर्सी	..	3	1,800
2	अधिकारी मेज	..	3	6,000
3	कर्मचारी मेज	..	20	12,000
4	कर्मचारी कुर्सी	..	29	5,800
5	स्टील आलमारी (बड़ी)	..	9	14,400
6	स्टील आलमारी (छोटी)	..	6	6,000
7	स्टील रैक	..	9	7,200
8	टाइप मशीन	..	3	18,000

क्रम-संख्या		संख्या	धनराशि (रुपये)
9	साइक्लोस्टाइल मशीन ..	3	90,000
10	साइकिल ..	3	2,100
11	लोहे की तिजोरी ..	3	9,000
12	लकड़ी बेन्च ..	3	1,800
13	स्टूल ..	12	600
14	दरी ..	3	1,500
15	अन्य साज-सज्जा ..		15,000
		योग	1,91,200

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेतर--

200--अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन--

01--भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0 प्र0 चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन		5,61
03--महंगाई भत्ता		1,62
04--यात्रा व्यय		10
05--अन्य भत्ते		1,02
06--कार्यालय व्यय		1,91
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व		72
	योग ..	10,98

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक फोटोस्टेट मशीन का क्रय

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0, प्र0, लखनऊ द्वारा कार्यान्वित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यालय में जमा किये गये प्रपत्रों व अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां निर्धारित साधारण/अविलम्ब रूप में जनता द्वारा शुल्क जमा करने पर उपलब्ध कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना पड़ता है। अतः उक्त कार्यालय के लिये एक फोटो स्टेट मशीन क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त मशीन के क्रय किये जाने हेतु 1,35,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,35,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं--

200--अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन--

01--भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0 प्र0 चिट्स फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन—

06--कार्यालय-व्यय 1;35

शिक्षा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद उन्नाव में जन्मे श्री मनीराम द्विवेदी 'नवीन' के स्मारक निर्माण हेतु अनुदान ।	35	..	..	35	2202-सामान्य शिक्षा	77 न

जनपद उन्नाव में जन्मे श्री मनीराम द्विवेदी "नवीन" के स्मारक निर्माण हेतु अनुदान

स्व0 श्री मनीराम द्विवेदी "नवीन" के स्मारक निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 में 35,000 रु0 का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। अतः 35,000 रु0 की व्यवस्था वर्ष 1990–91 के बजट में कर ली गई है। स्वीकृति के पूर्व विस्तृत परीक्षण किया जायेगा।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :––

(हजार रुपयों में)

2202–सामान्य शिक्षा––आयोजनेतर---
03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा––
104–गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को अनुदान–स्व0 श्री मनीराम द्विवेदी स्मारक निर्माण हेतु-अनुदान––
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 35

सचिवालय प्रशासन विभाग

वर्ष 1990- 91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग हेतु एक फोटो कापियर मशीन का क्रय	1,71	..	..	1,71	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	81 न

वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग हेतु एक फोटो कापियर मशीन का क्रय

वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पत्रों की तथा इससे संबंधित स्वीकृति-पत्रों तथा अन्य प्राथमिकता वाले पत्रों आदि की फोटो प्रतियां तैयार की जानी होती है। अतः एक फोटो कापियर मशीन तथा एक स्टैबिलाइजर का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,71,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेतर--

090--सचिवालय--

01--सचिवालय--

06--कार्यालय व्यय 1,71

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद लखनऊ में मोहनलाल गंज--गोसाईगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण	14,05	..	..	14,05	3054--सड़कें और पुल	85 न
2	इण्डियन नेशनल ग्रप आफ इण्टर-नेशनल एसोसिएशन फार ब्रिजेज एण्ड स्ट्रक्चरल इंजी-नियरिंग को वार्षिक अंशदान	8	..	..	8	तदैव	85 न
	योग	14,13	..	..	14,13		

जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज–गोसाईगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण

जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज––गोसाईगंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 58,65,000 रु0 के कार्य का अनुमोदन प्रदान किया है और केन्द्रीय अंश 44,60,000 रु0 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है । राज्य अंश के रूप में 14,05,000 रु0 की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है । तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 14,05,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

3054––सड़कें और पुल-आयोजनेतर––
04––जिला और अन्य सड़कें––
337––सड़क कार्य जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज–गोसाईगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य 14,05

इण्डियन नेशनल ग्रुप आफ इण्टरनेशनल एसोसियेशन फार ब्रिजेज एण्ड स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग को वार्षिक अंशदान

इण्डियन नेशनल ग्रुप आफ इण्टरनेशनल एसोसियेशन फार ब्रिजेज एण्ड स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग, नई दिल्ली को प्रतिवर्ष 7,500 रुपये का वार्षिक अंशदान दिया जाना प्रस्तावित है । तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सुगमांक में 8,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

3054––सड़कें और पुल–आयोजनेतर–– (हजार रुपयों में)
80––सामान्य––
800––अन्य व्यय––
01––निर्माण
0101–इण्डियन नेशनल ग्रुप आफ इन्टरनेशनल एसोसियेशन फार ब्रिजेज आफ स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग को सहायता––
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8

संस्थागत वित्त विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं०	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	बिक्रीकर--						
1	बिक्रीकर विभाग की जांच चौकियों के कार्य की गतिशील बनाये रखने हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	60,58	..	..	60,58	2040-बिक्रीकर	89 न
2	बिक्रीकर विभाग के खण्ड कार्यालयों के लिये फर्नीचर की व्यवस्था	11,76	..	..	11,76	तदैव	89 न
3	बिक्रीकर विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना को गतिशील बनाये रखने की व्यवस्था	54,20	..	..	54,20	तदैव	90 न
4	बिक्रीकर विभाग की 'ए' श्रेणी की जांच चौकियों के लिए जनरेटर का क्रय	48	..	..	48	तदैव	90 न
5	बिक्रीकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लिये कूलरों का क्रय	6,00	..	..	6,00	तदैव	90 न
6	बिक्रीकर अधिकरण की चतुर्थ पीठ आगरा में स्थापित किये जाने हेतु जनशक्ति/धनराशि की व्यवस्था	5,31	..	..	5,31	तदैव	90 न
7	बिक्रीकर विभाग के कर्मियों को आवासीय सुविधा	..	65,52	..	65,52	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	91 न
	योग (क)	1,38,33	65,52	.	2,03,85		
(ख)	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन--						
1	महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक फोटो-कापियर मशीन की व्यवस्था	1,65	..	..	1,65	2030--स्टाम्प और पंजीकरण	92 न
2	प्रदेश के उप-निबन्धक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था	3,00	..	..	3,00	तदैव	92 न
	योग (ख)	4,65	..	..	4,65		

संस्थागत वित्त विभाग (समाप्त)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें––आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
(ग)	मनोरंजन कर––						
1	मनोरंजन कर विभाग का सुदृढ़ीकरण	2,92	..	..	2,92	2054–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	92 न
	योग (ग)	2,92	..	..	2,92		
	कुल योग	1,45,90	65,52	..	2,11,42		

बिक्रीकर विभाग की जांच चौकियों के कार्य को गतिशील बनाये रखने हेतु अतिरिक्त अस्थायी पदों का सृजन

बिक्रीकर विभाग की जांच चौकियों के माध्यम से करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के फलस्वरूप राजस्व अर्जन में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं माल वाहक वाहनों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए इन जांच चौकियों को अतिरिक्त सुगठित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 60,58,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 60,58,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	सहायक आयुक्त (चेक पोस्ट)	3000-4500	1
2	बिक्रीकर अधिकारी	2200-4000	53
3	बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2	1600-2660	63
4	आशु लेखक	1200-2040	13
5	वरिष्ठ सहायक	1200-2040	33
6	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	18
7	लेखाकार	1200-2040	10
8	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	6
9	सेवक	750-940	4

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2040--बिक्रीकर--आयोजनेतर-- (हजार रुपयों में)

101--संग्रह प्रभार--

01--अधिष्ठान--

01--वेतन	39,00
03--महंगाई भत्ता	14,04
05--अन्य भत्ते	7,54
योग ..	60,58

बिक्रीकर विभाग के खण्ड कार्यालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था

बिक्रीकर के रूप में प्रदेश को राजस्व उपलब्ध कराने वाले व्यापारियों को अपने कर वादों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारणार्थ बिक्रीकर विभाग के खण्ड कार्यालयों में समय-समय पर उपस्थित होना पड़ता है। इन व्यापारियों को कार्यालयों में किये जाने वाली प्रतीक्षा के समय बैठने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। को दृष्टि में रखते हुए कतिपय फर्नीचर क्रय करनेा का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में 11,76,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,76,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-

2040--बिक्रीकर--अयोजनेतर- (हजार रुपयों में)

001--निदेशन एवं प्रशासन--

01--बिक्रीकर आयुक्त का अधिष्ठान-

06--कार्यालय व्यय 11,76

बिक्रीकर विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना को गतिशील बनाये रखने की व्यवस्था

बिक्रीकर विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना को सदुपयोगी बनाने के लिये उसके क्रियाकलापों को तीन चरणों में विभाजित कर आवश्यक उपायों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1990–91 में 54,20,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 54,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2040––बिक्रीकर–आयोजनेतर––		
001––निर्देशन और प्रशासन––		
01––बिक्रीकर आयुक्त का अधिष्ठान––		
20––मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		50,05
33––अन्य व्यय (मतदेय)		4,15
योग ..		54,20

बिक्रीकर विभाग की "ए" श्रेणी की जांच चौकियों के लिये जेनरेटर का क्रय

बिक्रीकर विभाग की "ए" श्रेणी की जांच चौकियों के लिये 10 के0वी0ए0 के 2 जनरेटर क्रय करने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ष 1990–91 में 48,000 रु0 का व्यय का अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 48,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2040––बिक्रीकर–आयोजनेतर––		
101––संग्रह प्रभार––		
01––अधिष्ठान––		
20––मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		48

बिक्रीकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लिए कूलरों का क्रय

बिक्रीकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों को एअर कूलर की सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये 200 नये एअर कूलरों का क्रय किया जाना अपेक्षित है जिसके लिये वर्ष 1990–91 में 6,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 6,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2040––बिक्रीकर-आयोजनेतर––	
101––संग्रह प्रभार––	
01––अधिष्ठान ––	
20––मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6,00

बिक्रीकर अधिकरण की चतुर्थ पीठ आगरा में स्थापित किये जाने हेतु जनशक्ति/धनराशि का व्यवस्था

बिक्रीकर राजस्व से सम्बद्ध अपीलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिये जनपद आगरा में बिक्रीकर अधिकरण की एक नई पीठ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिये कतिपय पदों का सृजन एवं कार्यालय की साज-सज्जा हेतु समुचित धनराशि अपेक्षित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 5,31,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,31,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	सदस्य	1
2	मुन्सरिम	1
3	आशुलिपिक	1
4	पेशकार	1
5	अभिलेखापाल	1
6	अहलमद	1
7	कनिष्ठ लिपिक	1
8	दफ्तरी	1
9	जमादार	1
10	अर्दली	1
11	चौकीदार	1
12	कार्यालय सेवक	1
13	वाटरमैन कम फर्राश	1

(ख) साज-सज्जा भण्डार/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	(हजार रुपयों में)
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा मशीनें	76

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2040--बिक्रीकर-आयोजनेतर--

001--निदेशन और प्रशासन--

02--बिक्रीकर अभिकरण का अधिष्ठान--

01--वेतन	2,35
02--महंगाई भत्ता	64
05--अन्य भत्ते	56
06--कार्यालय व्यय	20
07--टेलीफोन पर व्यय	20
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	60
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	76
योग ..	5,31

बिक्रीकर विभाग के कर्मियों को आवासीय सुविधा

बिक्रीकर विभाग के कर्मियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में जनपद इलाहाबाद में विकास प्राधिकरण से 12 उच्च आय वर्ग के भवन (4 कार गैराज तथा 8 स्कूटर गैराज सहित) 41,00,000 लाख रु० तथा जनपद हापुड़ में उत्तर प्रदेश आवास बिकास परिषद् से 12 मध्यम आय वर्ग के भवन 24.52 लाख रु० अर्थात् कुल 65,52,000 रु० की अनुमानित लागत पर क्रय करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 65,52,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेतर--

60--अन्य इमारतें--

800--अन्य व्यय--

01--इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से 12 उच्च आयवर्ग के भवनों तथा हापुड़ में आवास विकास परिषद् से 12 मध्यम आय वर्ग के भवनों का क्रय--

33--अन्य व्यय ..	65,52

महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक फोटो कापियर मशीन की व्यवस्था

शासकीय कार्य के त्वरित कार्यान्वयन के उद्देश्य से महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक फोटो कापियर मशीन की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस पर 1,65,000 रु० का अनुमानित व्यय भार निहित है। तद्नुसार उक्त व्यय हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,65,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2030--स्टाम्प और पंजीकरण -आयोजनेतर--	
03--पंजीकरण--	
001--निदेशन और प्रशासन--	
01--मुख्यालय--	
06--कार्यालय व्यय	1,65

प्रदेश के उप-निबन्धक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था

निबन्धन विभाग में उप-निबन्धक कार्यालयों की कार्य कुशलता में सुधार लाने एवं जनसाधारण को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से कुछ और उपस्कर (मेज, कुर्सी तथा बेंच आदि) क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष (1990-91) में 3,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 3,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2030--स्टाम्प और पंजीकरण -आयोजनेतर--	
03--पंजीकरण--	
001--निदेशन और प्रशासन--	
02--जिला व्यय--	
06--कार्यालय व्यय	3,00

मनोरंजन कर विभाग का सुदृढ़ीकरण

अप्रैल, 1989 में मनोरंजन कर विभाग का पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप सहायक मनोरंजन कर आयुक्तों के कार्यालयों में परिवर्तन किया गया है तथा कतिपय नये स्थानों पर इनके कार्यालय खोले गये हैं। इसी प्रकार जिला मनोरंजन कर अधिकारी के कार्यालय भी बढ़ाये गये हैं तथा साथ ही में सहायक मनोरंजन कर आयुक्तों तथा कतिपय जिला मनोरंजन कर अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है। योजनान्तर्गत कतिपय पदों का सृजन, गाड़ियों के अनुरक्षण आदि की व्यवस्था की जानी है जिस पर वर्ष 1990-91 में कुल 2,92,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 2,92,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-आयोजनेतर--		
101--संग्रह प्रभार-मनोरंजन कर--		
01--वेतन		1,26
03--महंगाई भत्ता		49
05--अन्य भत्ते		41
07--टेलीफोन पर व्यय		36
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद		40
	योग ..	2,92

सैनिक कल्याण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वीर चक्र शृंखला के विजेताओं को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार में वृद्धि	3,00	..	..	3,00	2075-विविध सामान्य सेवायें	95 न
2	द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पेंशन	2,71,35	..	..	2,71,35	तदैव	95 न
3	राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के एक योद्धा की मूर्ति का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को दान स्वरूप दिया जाना	1,55	..	..	1,55	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	95 न
4	नव सृजित जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना	7,39	..	..	7,39	तदैव	96 न
	योग ..	2,83,29	..	..	2,83,29		

वीरचक्र श्रृंखला के विजेताओं को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार में वृद्धि

जल, थल, वायु सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सैनिकों को जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परम वीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र से विभूषित किया जाता है को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी प्रदान की जाती है। कुछ प्रदेशों में नकद धनराशि के अतिरिक्त भूमि या भूमि के स्थान पर नकद धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमि आवंटित करने अथवा भूमि के स्थान पर नकद धनराशि देने का कोई प्राविधान नहीं है अतः भूमि के स्थान पर नकद धनराशि दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भूमि के स्थान पर दी जाने वाली कुछ धनराशि का समावेश हो सके इसको ध्यान में रखते हुए वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि तथा वार्षिकी अब निम्नांकित दरों से दिये जाने का प्रस्ताव है:--

क्रम-सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी 30 वर्षों तक
1	2	3	4
1	परमवीर चक्र	1,00,000	1,000
2	महावीर चक्र	75,000	400
3	वीर चक्र	50,000	300

उपर्युक्त दरों पर वीरता पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार की एक मुश्त नकद धनराशि तथा वार्षिकी की धनराशि भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 3,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 3,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2075--विविध सामान्य सेवायें--आयोजनेतर--
104--विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल के रूप में पेंशन और इनाम--
05--वीरचक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एक मुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,00

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पेंशन

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जिनकी अनुमानित संख्या 33,918 है, इस समय कोई पेंशन नहीं दी जाती है। बिहार, कर्नाटक व केरल प्रदेश में इन्हें 100 रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। अतः उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दिनांक 1 अगस्त 1990 से 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 2,71,34,400 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 2,71,35,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2075--विविध सामान्य सेवायें--आयोजनेतर--
104--विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल के रूप में पेंशन और इनाम--
--उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत किया जाना--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,71,35

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के एक योद्धा की मूर्ति राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को दान स्वरूप दिया जाना

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से रानी लक्ष्मी बाई, झांसी की अश्वारोही मूर्ति बनवा कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़क-वासला, पुणे को दानस्वरूप उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, अतः मूर्ति के निर्माण हेतु 75,000 रुपये तथा इसकी स्थापना पर होने वाले व्यय के लिये 80,000 रुपये अर्थात् कुल 1,55,000 रुपये का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 12.5460
Date 3-12-90

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनेतर--
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--
200--अन्य योजनायें--
01--नाविक एवं वैमानिक परिषद्--

(हजार रुपयों में)

0101--मुख्यालय--
33--अन्य व्यय 1,55

नवसृजित जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों एव मृत जवानों के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए नवसृजित जनपद महराजगंज, सोनभद्र, फिरोजाबाद, हरिद्वार तथा सिद्धार्थ नगर में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 7,39,000 रु0 (6,69,000 रुपये आवर्तक तथा 70,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। इस व्यय का पचास प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,39,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--
अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी	2350-4300	5
2	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	5
3	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950-1500	5
4	कल्याण कार्यकर्त्ता	825-1200	5
5	चपरासी	750-940	5
6	सफाई जमादार	750 नियत वेतन (वेतन+महंगाई भत्ता)	5

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनेतर--
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--
200--अन्य योजनायें--
01--नाविक एवं वैमानिक परिषद्--
0102--जिला कर्मचारिवर्ग--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	.. ..	4,38
03--महंगाई भत्ता	.. ..	1,49
04--यात्रा व्यय	.. ..	5
05--अन्य भत्ते	.. ..	11
06--कार्यालय व्यय	.. ..	95
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	.. .. ..	36
33--अन्य व्यय	.. ..	6
	योग ..	7,39

NIEPA DC
D05460

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	3,70	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान-- 01--अयोजना भिन्न अनुदान 800--अन्य अनुदान 91--सैनिक कल्याण 9101--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50 प्रतिशत

पी0एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 20 सा0 वित्त-1-6-90-(880)-1990-2,500 प्रतियां (मैंग0)।